

## भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट, हबीबगंज भोपाल- 462024

फोन :- (0755) 2478250 से 253 फेक्स :- 0755 - 2450896

e-mail : sanchi.bhopal@gmail.com

### अभिरूचि की अभिव्यक्ति


### साँची दुग्ध उत्पाद वितरक नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरण कार्य हेतु एफ.एम.सी.जी उत्पादों के वितरक का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं अनुभवी वितरको से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन प्रपत्र एवं नियम शर्तें दिनांक 07.09.2019 से 30.09.19 तक एमपीसीडीएफ की वेबसाईट [www.mpdcfdm.in](http://www.mpdcfdm.in) से डाउनलोड किये जा सकते हैं। आवेदन प्रपत्र की राशि रू.500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा ई.एम.डी. राशि रू.50000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" के नाम से भोपाल में भुगतान योग्य बनाकर आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र दिनांक . 30.09.2019 को दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। जो उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित आवेदनकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष दुग्ध संघ कार्यालय हबीबगंज भोपाल में खोले जाएंगे। किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत /अस्वीकृत करने एवं वितरको की संख्या को कम एवं अधिक करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित होगा एवं यह निर्णय समस्त कानूनी परिधि से मुक्त होगा। आवेदन संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण एम.पी.सी.डी.एफ की वेबसाईट [www.mpdcfdm.in](http://www.mpdcfdm.in) पर उपलब्ध हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

भोपाल दुग्ध संघ के अंतर्गत  
साँची दुग्ध उत्पाद वितरक हेतु  
आवेदन - प्रपत्र वर्ष 2019-2021



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित  
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल - 462024  
दूरभाष - 0755. 2680250 से 53  
फैक्स नम्बर - 0755. 2450896  
E- mail : [sanchi.bhopal@gmail.com](mailto:sanchi.bhopal@gmail.com)


भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल  
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

दुग्ध उत्पाद वितरण कार्य हेतु नवीन आवेदन प्रपत्र

- |   |  |
|---|--|
| 1 आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान | 30.09.19 दोपहर 01:30 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल   |
| 2 आवेदन खोलने की तिथि एवं समय                         | 30.09.19 अपरान्ह 3:00 बजे  |
| 3 आवेदन प्रपत्र का मूल्य                              | रू.500/- (पांच सौ रूपये मात्र)   |
| 4 आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि            | प्रत्येक आवेदन के साथ रू. 50,000/- (पचास हजार मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" पेयबल एट भोपाल के नाम से देय हो |
| 5 आवेदन खोलने का स्थान                                | मीटिंग हॉल, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज भोपाल   |

## साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स की वितरकशिप हेतु नवीन आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. स्थाई / वर्तमान पता .....
- .....
- .....
- .....
4. शैक्षणिक योग्यता .....
5. एफ.एम.सी.जी.वितरक का अनुभव .....
- .....
6. दूरभाष / मोबाईल नं. ....
7. FSSAI लाइसेंस नं. ....
8. जी.एस.टी नम्बर .....
9. पेन कार्ड नम्बर .....
10. आयकर रिटर्न विगत तीन वर्ष का संलग्न करें। वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18।



मेरे द्वारा साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स की वितरकशिप संबंधि इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्ते पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर  
नाम

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.  
भोपाल ।

महोदय,

साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स की वितरकशिप कार्य हेतु दिनांक ..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आवेदन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं । यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .....दिनांक .....जो कि, .....बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ।

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4	आवेदनकर्ता का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें
5	जी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है।		जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।
6	उपलब्ध वाहन का प्रकार/ नया वाहन खरीदने के स्थिति में तदाशय का शपथ-पत्र संलग्न करें।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावें अथवा रु.100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
7	बैंक का नाम व खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेंट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।
8	वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 का आयकर जमा विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
9	FSSAI लाईसेंस होना अनिवार्य है।		FSSAI लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करें।
10	दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी वितरक का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।		दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी वितरक कार्य के अनुभव संबंधी रु. 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें।
11	एमपीसीडीएफ अंतर्गत किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है।		ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में रु.100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प का शपथ पत्र संलग्न करें।

12	दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है के संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।		दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है के संबंधी रु.100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प का शपथ पत्र संलग्न करें।
13	आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र में वर्णित वार्षिक विक्रय लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त करने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।		आवेदन प्रपत्र में संलग्न प्रारूप अनुसार रु.100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम :- \_\_\_\_\_

पता :- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

मोबाईल नं. \_\_\_\_\_

## अभिरूचित की अभिव्यक्ति के माध्यम से साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स की वितरकशिप हेतु आवंटन संबंधी शर्तें :-

1. आवेदक को एफ.एम.सी.जी उत्पादों के वितरक का कम से कम 2 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका शपथ-पत्र रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत किया जाय।

2. चयन प्रक्रिया :-

क्र.	प्रक्रिया
1	एक आवेदनकर्ता एक से अधिक मार्गों पर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है परन्तु उसे एक ही मार्ग आवंटित किया जाएगा।
2	तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदनकर्ताओं के मध्य लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से दुग्ध उत्पाद वितरक का चयन किया जाएगा।
3	यदि किसी मार्ग पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त होता है/शेष रहता है एवं आवेदनकर्ता द्वारा तकनीकी अर्हताएं पूर्ण की जाती हैं तो उसका चयन किया जाएगा।
4	यदि किसी आवेदनकर्ता ने एक से अधिक मार्गों पर आवेदन प्रस्तुत किया है एवं उसका चयन किसी एक मार्ग पर हो चुका है तो ऐसे आवेदनकर्ता के अन्य आवेदनों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
5	ऐसे आवेदनकर्ता जिन पर भोपाल दुग्ध संघ की अवशेष राशि बकाया है, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनको एमपीसीडीएफ के अधीन पूर्व में किसी भी दुग्ध संघ की नियम शर्तों का उल्लंघन करने के कारण कार्य से पृथक अथवा ब्लैक लिस्ट किया हो इस बाबद उल्लेख शपथ पत्र रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प भरकर देना होगा।

4. दुग्ध उत्पाद उचित प्रशीतन में रहे इस हेतु वितरक द्वारा 4 इंच पफ इंसुलेटेड वाहन निर्धारित वास्तविक क्षमता का उपलब्ध/उपयोग कराया जाना अनिवार्य है। इंसुलेटेड वाहन का माडल 2016 या उसके बाद का, पंजीकृत होना अनिवार्य है। चार पहिया वाहन इंसुलेटेड 4 इंच पफ का होना चाहिए, इंसुलेटेड वाहन का सम्पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक है। आवेदक के पास स्वयं का वाहन न होने की दशा में नया वाहन क्रय करने हेतु आवेदन के साथ शपथ पत्र रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन स्वीकार होने की तिथि से एक माह में इंसुलेटेड वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा, तथा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

5. समय-समय पर पफ इंसुलेशन की स्थिति जानने हेतु संघ स्तर से एक समिति बनाकर वाहन का निरीक्षण कराया जाएगा, जिसमें समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दुग्ध पदार्थों का नियमानुसार तापमान पर दुग्ध उत्पाद परिवहन शीतलीकृत होने का समिति सत्यापित करेगी। सत्यापन में सही इंसुलेशन नहीं पाये जाने पर तत्काल अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।

6. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को रु. 50,000/- का बैंक ड्राफ्ट ई.एम.डी. राशि के तौर पर जमा करना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" के नाम से बनाया जाय। उक्त राशि जमा नहीं करने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

7. वितरक के पास FSSAI "खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006" के अंतर्गत लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
8. आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर जमा ई.एम. डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।
9. चयन उपरांत आवेदक को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार रू.1000/- (रूपये एक हजार मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध अधिकतम आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करना होगा।
10. कार्य आदेश जारी होने के पूर्व निर्धारित समयावधि में रूपये में 3.00 (तीन लाख मात्र) नगद एवं राशि रू.2.00 दो लाख की एफ.डी.आर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, के संयुक्त नाम से बनाकर बतौर प्रतिभूति राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
11. वितरक को प्रतिदिन दुग्ध उत्पाद विक्रय राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस (ई-पेमेंट) के माध्यम से अग्रिम करना होगा। ई-पेमेंट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर संबंधित वितरक को दुग्ध उत्पाद प्रदाय किया जायेगा। कार्य आदेश जारी होने के पूर्व वितरक को संघ में प्रचलित खाते की स्वहस्ताक्षरित ब्लैंक चेक बुक संघ में जमा करना होगा। ताकि शासकीय अवकाश अथवा अपरिहार्य स्थिति जैसे इंटरनेट बैंकिंग की सर्वर डाउन होने, आदि की स्थिति में संघ द्वारा धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जा सके।
12. दुग्ध पदार्थ की दर निर्धारित करने में दुग्ध संघ का पूर्ण विशेषाधिकार रहेगा। कार्य आवंटित होने के उपरान्त आवेदक को साँची दुग्ध पदार्थ डेयरी संयंत्र भोपाल से स्वयं के व्यय एवं तापरोधी वाहन से उठाने होंगे एवं संघ द्वारा निर्धारित रिटेलर दर पर अपने क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को उनकी मांग अनुसार निर्धारित समयावधि एवं तापमान पर पहुंचाना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान वितरक मार्जिन में यदि भविष्य में परिवर्तन किया जाता है तो यह वितरक को मान्य किया जाना बंधनकारी होगा।
13. दुग्ध उत्पाद वितरक के प्रत्येक अनादरित धनादेश पर अर्धदंड निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :-
  1. रू.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के निरादरित होने की तिथि से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्धदंड की राशि रू.1000/- के मान से होगी। रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश निरादरित होने पर अर्धदंड रू.2000/- प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।
  2. यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के अंदर वितरक द्वारा लागू अर्धदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिवस के लिए अर्धदंड की राशि रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रू.2000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.4000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।



3. यदि इसके पश्चात् भी वितरक द्वारा मूल राशि के साथ-साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रू.3000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.6000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
4. वितरक के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ-साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
5. एक माह में किसी भी वितरक के अधिकतम 3 धनादेश अनादरित होने पर उनको आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु वितरक स्वयं जवाबदेह होगा।
6. इसके अंतर्गत जैसे ही वितरक के खाते से 2 धनादेश अनादरित होते हैं, दुग्ध संघ द्वारा वितरक को सचेत करते हुए अंतिम चेतावनी जारी की जाएगी। तत्पश्चात् यदि तीसरा धनादेश भी अनादरित हो जाता है तो इस स्थिति में संबंधित वितरक को सूचित करते हुए उसका कार्य आवंटन आदेश तत्काल निरस्त किया जाएगा।
14. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/संघ विरोधी गतिविधियों/संघ की नीतियों के विरुद्ध कार्य करते पाये जाने पर संघ द्वारा वितरकशिप निरस्त कर दी जावेगी एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
15. संघ द्वारा जो दुग्ध पदार्थ प्लास्टिक क्रेट में प्रदाय किये जाते हैं, उनके लिये पार्टी को न्यूनतम 250 क्रेट्स/या जितने आवश्यक हो दुग्ध संघ से क्रय करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन जितनी संख्या में क्रेट में दुग्ध पदार्थ लेकर जाते हैं उसी संख्या में क्रेट वापस करना बंधनकारी होगा।
16. फुटकर विक्रेताओं से दुग्ध पदार्थों की राशि वसूली करना वितरक का कार्य होगा। वितरक एवं फुटकर विक्रेताओं के बीच किसी भी प्रकार की वचन बद्धता एवं विवाद के लिए संघ जवाबदार नहीं होगा।
17. संघ द्वारा वितरक को उसकी अग्रिम मांग अनुसार ही दुग्ध पदार्थ दैनिक रूप से उपलब्ध कराये जाएंगे, एक बार दुग्ध पदार्थ प्रदाय होने पर संघ द्वारा वापस नहीं लिये जाएंगे।
18. संघ के दुग्ध पदार्थों की शेल्फ-लाइफ 02 से 07 दिवस तक होती है अतः वितरक का यह दायित्व होगा कि वह दुग्ध पदार्थों की अग्रिम मांग शेल्फ-लाइफ को देखते हुए देवें एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराए। फुटकर विक्रेताओं को शेल्फ-लाइफ की जानकारी देकर नियमानुसार कार्य करने हेतु जागरूक करने की जवाबदारी वितरक की होगी।
19. वितरक के पास जी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है, समस्त टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी वितरक की होगी। साथ ही वितरक को म.प्र. शासन/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये गये अन्य टैक्स भी जमा कराना अनिवार्य होगा।

20. आवंटित क्षेत्र में वितरक को 100% क्षेत्र कवर करना एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
21. यह अनुबंध दो वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पाद वितरक का कार्य दो वर्ष की अवधि में विक्रय लक्ष्यानुरूप किये जाने एवं संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों के अंतर्गत कार्य अवधि अधिकतम एक वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
22. दुग्ध उत्पाद वितरक की पहली समीक्षा तीन माह पश्चात् की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि दुग्ध उत्पाद वितरक प्रथम तीन माह का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया है तो उसकी वितरकशिप समाप्त की जा सकती है। इसके बावजूद भी समय-समय पर दुग्ध उत्पाद वितरक के कार्य की समीक्षा की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर दुग्ध संघ वितरक की वितरकशिप समाप्त करने की कार्यवाही कर सकेगा।
23. प्रथम वर्ष के माहवार लक्ष्य प्रपत्र-1 पर आवेदनकर्ताओं को दिये जा रहे हैं तत्पश्चात् अगले प्रत्येक वर्ष में गत वर्ष की तुलना में विक्रय में 10% की वार्षिक विक्रय वृद्धि किया जाना आवश्यक होगा। वार्षिक लक्ष्य पूर्ति न होने के कारण समीक्षा कर दुग्ध संघ को हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु वितरक की संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि की सीमा तक की पेनाल्टी वसूलते हुए वितरकशिप निरस्त की जाएगी। जिस हेतु वह स्वयं जवाबदेह होगा। मार्गवार लक्ष्यों का विवरण आवेदन पत्र के साथ पृथक से संलग्न है।
24. आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शत प्रतिशत वार्षिक विक्रय लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
25. वितरक दुग्ध संघ द्वारा चाही गई जानकारी चाहे गये प्रारूप में समय-समय पर प्रस्तुत करेंगे।
26. संघ द्वारा पत्र/परिपत्र के माध्यम से समय-समय पर जो भी निर्देश जारी किये जाएंगे उनका पालन करना वितरक को अनिवार्य होगा एवं इन परिपत्रों/पत्रों को अनुबंध का भाग माना जाएगा।
27. एक अथवा समस्त आवेदनों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
28. आवेदक को वितरकशिप प्राप्त होने पर उसे न्यूनतम राशि का दुग्ध पदार्थ प्रतिदिन विक्रय करना आवश्यक होगा।
29. वाहन में जीपीएस सिस्टम स्वयं के खर्च से लगवाना अनिवार्य होगा, जिसे संघ के माध्यम से लगवाया जायेगा, जिसका लागत व्यय वितरक को तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा।
30. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वाहन पर विनाइल फ्लेक्स साँची विज्ञापन स्वयं के खर्च पर लगवाया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रिंटिंग खराब हो जाने पर तत्काल नया फ्लेक्स लगाने की जिम्मेदारी भी वितरक की होगी अन्यथा वितरकशिप बंद कर दी जायेगी।
31. वाहन के चालक एवं हेल्पर को संघ द्वारा निर्धारित यूनीफार्म पहनने तथा पहचान पत्र होने पर ही संयंत्र परिसर में जाने की अनुमति दी जाएगी।
32. वाहन में डी.एम./चालान से अधिक माल सिक्योरिटी द्वारा पकड़े जाने पर प्रथम बार माल की 50 गुना राशि वसूली जाएगी, बार-बार पुनरावृत्ति होने पर आवंटित वितरकशिप निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।

33. भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य इस आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। इस बाबद आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ आगामी पृष्ठ पर संलग्न शपथ पत्र रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प में भरकर देना होगा, जिसको संबंधित विभाग द्वारा सत्यापित करवाये जाने के पश्चात् ही कार्य आदेश किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा दिया गया शपथ पत्र गलत पाया जाता है एवं आवेदक अपात्र अथवा उनसे संबंधित पाये जाते हैं तो कार्य आवंटन पश्चात भी प्रस्तुत आवेदन एवं आवंटित कार्य निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।
34. दुग्ध संघ द्वारा भोपाल शहर को 15 मार्गों एवं ग्रामीण विपणन को 05 मार्गों में विभाजित कर प्रत्येक हेतु एक दुग्ध उत्पाद वितरक नियुक्त किया जाना है। आवेदनकर्ता आवेदित मार्ग एवं उससे संबंधित क्षेत्रों का विवरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न मार्गवार विवरण तालिका का अवलोकन कर लें।
35. वितरक द्वारा संयंत्र से सामग्री लेने के बाद सम्पूर्ण जवाबदारी ली जायेगी। अतः वितरक सामग्री लेने के पूर्व सामग्री चेक करेंगे। रिटेलर तक गुणवत्ता युक्त सामग्री पहुँचाने की सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी।
36. वितरक अपनी वितरकशिप सवलेट नहीं करेगा।
37. वितरक किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भोपाल दुग्ध संघ को अपना स्टॉक, रिकार्ड, गोडाउन एवं अन्य वितरकशिप से संबंधित व्यवस्थाओं की जाँच कराएगा।
38. भोपाल दुग्ध संघ किसी भी समय अनुबंध की नियम एवं शर्तों को जोड़ने, हटाने एवं स्पष्ट करने का विशेषधिकार रखेगा एवं वितरक पर बाध्यकारी रहेगा।
39. जरूरत पड़ने पर दुग्ध उत्पाद मार्केट से रिकाल करने में वितरक परिस्थितियों के अनुरूप दुग्ध संघ के निर्देशानुसार आवश्यक कदम उठायेगा।
40. साँची के उत्पादों की प्रदायगी के पश्चात् किसी भी स्तर पर उत्पादों की प्रक्रिया, मिश्रण आदि में फेरबदल किया जाता है तो साँची (भोपाल सह.दुग्ध संघ) की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
41. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उसे मध्यस्थता [मध्यस्थता] के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु [मध्यस्थता] अध्यक्ष, भोपाल दुग्ध संघ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
42. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।  
मैंने उपरोक्त सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं सभी शर्तें मान्य हैं।

**आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर**

शपथ-पत्र (रू.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं..... निवासी.....भोपाल दुग्ध संघ में .....  
कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ कर रहा हूँ कि मेरा भोपाल दुग्ध संघ के  
माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के  
किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय  
मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य  
रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता -----

-----

-----

हस्ताक्षर-----

शपथ-पत्र (रू.100 / - के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं .....निवासी .....भोपाल दुग्ध संघ में ..... कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ कर रहा हूँ कि मुझे भोपाल एमपीसीडीएफ के अंतर्गत किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवंटित किसी भी कार्य में अनुबंध की नियम शर्तों का उल्लंघन करने से कार्य निरस्त अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता -----  
-----  
-----

हस्ताक्षर-----

शपथ-पत्र (रू.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं .....निवासी .....भोपाल दुग्ध संघ में ..... कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ कर रहा हूँ कि भोपाल दुग्ध संघ द्वारा दिये जाने वाले दुग्ध उत्पाद का वार्षिक विक्रय लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति करूंगा/करूंगी।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार शत प्रतिशत वार्षिक विक्रय लक्ष्य प्राप्ति न करने की स्थिति में दुग्ध संघ को हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु मेरी संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि की सीमा तक की पेनाल्टी वसूलते हुए वितरकशिप निरस्त कर दी जाए तथा इसके विरुद्ध मैं किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता -----

-----

हस्ताक्षर-----

## साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स की वितरकशिप अनुबंध (भोपाल शहर विपणन)

यह अनुबंध आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा। (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स ..... भोपाल द्वारा पार्टनर श्री .....से बतौर साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरकशिप (द्वितीय पक्ष) की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक ..... के लिए दिनांक .... से दिनांक ..... तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स की वितरकशिप को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स की वितरकशिप का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को दुग्ध संघ के पास अमानत राशि रु. 300000/- शब्दों में (तीन लाख रुपये मात्र) नगद या डी.डी. राशि रु.300000/- (शब्दों में तीन लाख रुपये मात्र) जमा करावेगा एवं एफ.डी.आर राशि रु.200000/-शब्दों में (दो लाख रुपये मात्र) की एफ.डी.आर. संघ के नाम ज्वाइंट एफ.डी.आर. के रूप में हस्ताक्षर कर संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। दुग्ध संघ में जमा की गई नगद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक द्वारा संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि, वितरकशिप अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधि वापस करने की कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा निधि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक, दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक ..... पर स्थित दुग्ध पदार्थ निर्धारित विक्रय केन्द्रों, (जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकता है) पर साँची दुग्ध पदार्थ संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
5. वितरक साँची दुग्ध पदार्थ डेयरी डाक भोपाल मांग अनुसार प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाय में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध पदार्थ व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल,भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दुग्ध पदार्थ उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाएगा।
6. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को डेयरी डाक भोपाल से प्राप्त किये गये साँची दुग्ध उत्पाद का वितरण कार्य सिर्फ इन्सुलेटेड वाहन आवेदन प्रपत्र में उल्लेख अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।
7. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक, दुग्ध विक्रय एजेन्टों को दुग्ध पदार्थों की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेगा।
8. वितरक निर्धारित दर पर ही दुग्ध पदार्थ विक्रय एजेन्ट को प्रदाय करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक संघ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर विक्रय एजेन्टों से वसूली कर रहा है, तो संघ वितरक पर पेनल्टी लगा सकेगा एवं इस प्रक्रिया की बार-बार पुनरावृत्ति की स्थिति में वितरकशिप समाप्त की जा सकती है।
9. डेयरी परिसर में स्वच्छता बनाये रखने के लिए वितरण वाहनों की साफ-सफाई संयंत्र परिसर के बाहर करेंगे। डेरी संयंत्र में ऐसा करते पाये जाने पर रु.1000/- का अर्थदण्ड लगाया जाएगा।
10. वितरक के प्रतिनिधि, डेयरी संयंत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र यथा लेब, कोल्ड स्टोर, संसाधन, पैकेजिंग कक्ष में नहीं जावेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में पाये जाने पर संघ जो भी दण्ड तय करेगा वह वितरक को मान्य होगा।
11. वितरक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नामिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है।

12. वितरण वाहन पर कार्यरत स्टॉफ द्वारा मांग पत्र/प्रदाय विवरण के कागज को फाड़कर संयंत्र में फेंक दिया जाता है, इसके कारण संघ परिसर में अनावश्यक गंदगी उत्पन्न होती है। अतः वेस्टेज सामग्री निर्धारित स्थान पर ही डस्टबिन में डाली जाए। धूम्रपान एवं गुटका खाकर या रख कर नहीं आयेगा, ऐसा करते पाये जाने पर ₹.1000/- का जुर्माना लगाया जावेगा।
13. वितरक को प्रतिदिन दुग्ध उत्पाद विक्रय राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस (ई-पेमेंट) के माध्यम से अग्रिम करना होगा। ई-पेमेंट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर संबंधित वितरक को दुग्ध उत्पाद प्रदाय किया जायेगा। कार्य आदेश जारी होने के पूर्व वितरक को संघ में प्रचलित खाते की स्वहस्ताक्षरित ब्लैंक चेक बुक संघ में जमा करना होगा। ताकि शासकीय अवकाश अथवा अपरिहार्य स्थिति जैसे इंटरनेट बैंकिंग की सर्वर डाउन होने, आदि की स्थिति में संघ द्वारा धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जा सके।
14. दुग्ध उत्पाद वितरक के प्रत्येक अनादरित धनादेश पर अर्थदंड निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :-
  1. ₹.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के निरादरित होने की तिथि से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि ₹.1000/- के मान से होगी। ₹.20.00 लाख से अधिक के धनादेश निरादरित होने पर अर्थदंड ₹.2000/- प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।
  2. यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के अंदर वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिवस के लिए अर्थदंड की राशि ₹.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु ₹.2000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं ₹.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु ₹.4000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
  3. यदि इसके पश्चात् भी वितरक द्वारा मूल राशि के साथ-साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक ₹.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि ₹.3000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं ₹.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु ₹.6000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
  4. वितरक के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ-साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
  5. एक माह में किसी भी वितरक के अधिकतम 3 धनादेश अनादरित होने पर उनको आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु वितरक स्वयं जवाबदेह होगा।
  6. इसके अंतर्गत जैसे ही वितरक के खाते से 2 धनादेश अनादरित होते हैं, दुग्ध संघ द्वारा वितरक को सचेत करते हुए अंतिम चेतावनी जारी की जाएगी। तत्पश्चात् यदि तीसरा धनादेश भी अनादरित हो जाता है तो इस स्थिति में संबंधित वितरक को सूचित करते हुए उसका कार्य आवंटन आदेश तत्काल निरस्त किया जाएगा।
15. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा। कार्य Compensation Act. अनुसार सभी कर्मचारियों का बीमा होना आवश्यक है, जिसकी छायाप्रति कार्य आवंटन उपरांत दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।
16. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
17. संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध पदार्थ वाहन में कार्यरत लेबर को संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो, उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स का वितरक अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक की साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स की वितरकशिप बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण संघ स्वतंत्र होगा।
18. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को



डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाएगी।

19. दुग्ध पदार्थ वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेंटों के बीच उठे विवादों को साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझावेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दुग्ध पदार्थ वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आने दें।
20. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों की संघ द्वारा निर्धारित यूनिफार्म बनवाना आवश्यक होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को पहनना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म का व्यय वितरक द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाएगी।
21. संयंत्र से सामग्री प्राप्त करने के पश्चात् सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी। अतः वितरक सामग्री लेने के पूर्व सम्पूर्ण सामग्री जांच कर प्राप्त करेंगे तथा रिटेलर तक गुणवत्ता युक्त सामग्री पहुँचाने की सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी।
22. वितरक किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भोपाल दुग्ध संघ को अपना स्टॉक, रिकार्ड, गोडाउन एवं अन्य वितरकशिप से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच कराएगा।
23. भोपाल दुग्ध संघ किसी भी समय अनुबंध की नियम एवं शर्तों को जोड़ने, हटाने एवं स्पष्ट करने का विशेषाधिकार रखेगा एवं वितरक पर बाध्यकारी रहेगा।
24. जरूरत पड़ने पर दुग्ध उत्पाद मार्केट से रिकाल करने में वितरक परिस्थितियों के अनुरूप दुग्ध संघ के निर्देशानुसार आवश्यक कदम उठायेगा।
25. साँची के उत्पादों की प्रदायगी के पश्चात् किसी भी स्तर पर उत्पादों की प्रक्रिया, मिश्रण आदि में फेरबदल किया जाता है तो साँची (भोपाल सह.दुग्ध संघ) की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
26. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक दुग्ध पदार्थ संघ से उतने ही क्रेटस प्राप्त कर सकेगा जितने वह लेकर आयेगा। इस हेतु उसे आवश्यकतानुसार न्यूनतम 250 क्रेटस संघ से क्रय करनी होंगी।
27. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जबाबदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी।
28. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक दुग्ध पदार्थ संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ोत्तरी हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कराएगा। विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जाएगी।
29. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक से जो भी अर्थदण्ड की राशि वसूली किया जाना अनुबंध की शर्तों में प्रस्तावित है, की वसूली साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि से की जाएगी।
30. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा, ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये आवंटित मार्ग निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।
31. आवंटित क्षेत्र में वितरक को 100% क्षेत्र कवर करना एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
32. यह अनुबंध दो वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पाद वितरक का कार्य दो वर्ष की अवधि में विक्रय लक्ष्यानु रूप किये जाने एवं संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों के अंतर्गत कार्य अवधि अधिकतम एक वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
33. दुग्ध उत्पाद वितरक की पहली समीक्षा तीन माह पश्चात् की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि दुग्ध उत्पाद वितरक प्रथम तीन माह का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया है तो उसकी वितरकशिप समाप्त की जा सकती है। इसके बावजूद भी समय-समय पर दुग्ध उत्पाद वितरक के कार्य की समीक्षा की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर दुग्ध संघ वितरक की वितरकशिप समाप्त करने की कार्यवाही कर सकेगा।
34. आवेदन फार्म के प्रपत्र-1 पर प्रथम वर्ष के माहवार लक्ष्य वितरकों को दिये गये हैं, तत्पश्चात् अगले प्रत्येक वर्ष में गत वर्ष की तुलना में विक्रय में 10% की वार्षिक विक्रय वृद्धि किया जाना

आवश्यक होगा। वार्षिक लक्ष्य पूर्ति न होने के कारण समीक्षा कर दुग्ध संघ को हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु वितरक की संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि की सीमा तक की पेनाल्टी वसूलते हुए वितरकशिप निरस्त की जाएगी। जिस हेतु वह स्वयं जवाबदेह होगा। मार्गवार लक्ष्यों का विवरण आवेदन पत्र के साथ पृथक से संलग्न है।

35. दुग्ध उत्पाद वितरक द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया वार्षिक विक्रय लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति करने हेतु शपथ पत्र अनुबंध का भाग माना जाएगा एवं शपथ पत्र के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
36. समय-समय पर दुग्ध संघ द्वारा साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को दुग्ध पदार्थ विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय-समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये वितरक को पृथक करने हेतु स्वतंत्र होगा।
37. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक कार्य हेतु साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक का इन्सुलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
38. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण संघ के संबंधित सहायक महाप्रबंधक विपणन को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन कार्य पर लगाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन संबंधित सहायक महाप्रबंधक विपणन से कराना होगा।
39. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक का संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक का दायित्व होगा।
40. संघ द्वारा साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध पदार्थ विक्रय केन्द्रों पर साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक द्वारा नियमित रूप से दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दुग्ध पदार्थ प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही दुग्ध पदार्थ प्रदाय संबंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर बंद कर सकेगा। यदि साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध पदार्थ प्रदाय बंद किया जाता है तो संघ को हुई हानि के बराबर राशि वसूली जावेगी।
41. वाहन में डी.एम./चालान से अधिक माल सिक्योरिटी द्वारा पकड़े जाने पर प्रथम बार माल की 50 गुना राशि वसूली जाएगी, बार-बार पुनरावृत्ति होने पर आवंटित वितरकशिप निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।
42. डेयरी परिसर के अंदर साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक के अधीन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धूम्रपान, तम्बाखू, शराब आदि का सेवन करने पर प्रथमतः अर्धदण्ड राशि रु.1000/- वितरक से वसूला जावेगा। पुनः वाहन चालक द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति करने पर दुग्ध संघ द्वारा डेयरी परिसर में वाहन चालक का प्रवेश निषेध कर दिया जावेगा।
43. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण दुग्ध पदार्थ वितरण बाधित होता है तो संघ को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई संबंधित साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स के वितरक से किया जावेगा।
44. संघ में पूर्व से कार्यरत साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को इस प्रक्रिया में भाग लेने पर पुनः मार्ग आवंटित होने की स्थिति में संघ का यदि कोई लेना शेष निकलता है तो उसे संघ में जमा करने के बाद ही कार्य आदेश दिया जाएगा।
45. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों/संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही साँची फ्रेश

- प्रोडक्ट्स वितरक को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दिशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
46. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा संघ द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्षकार द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा।
  47. मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा एक बार प्रत्येक मार्ग के लिये वाहन निर्धारित किये जाने पर पूर्ण अवधि पर ऐसी वाहन से या उसके समकक्ष, इंसुलेटेड वाहन से दूध पदार्थ वितरण किया जाएगा, ऐसा न करने की दशा में कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
  48. वितरक भोपाल दुग्ध संघ के अतिरिक्त किसी भी अन्य उत्पादक का दुग्ध या दुग्ध पदार्थ वितरण नहीं कर सकेगा, यदि ऐसा करते पाया जाता है तो उसे तत्काल बिना नोटिस दिए वितरकशिप से पृथक कर दिया जावेगा।
  49. दुग्ध संघ द्वारा किसी भी मार्ग अथवा क्षेत्र में स्थित शासकीय संस्था, प्राइवेट संस्था, माडर्न ट्रेड के व्यवसाय जैसे वॉलमार्ट, कैटरर, मेस संचालनकर्ता, कैंटीन आदि को सीधे दुग्ध पदार्थ प्रदाय करने का अधिकार होगा। इस पर वितरक को किसी भी प्रकार की आपत्ती नहीं होगी।
  50. संघ द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
  51. अभिरूचि की अभिव्यक्ति में आवेदक के लिए निर्धारित की गई शर्तें इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी।
  52. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उसे मध्यस्थता [FIFTH PART] के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु [FIFTH PART] अध्यक्ष, भोपाल दुग्ध संघ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
  53. इस अनुबंध का न्यायाधिकार क्षेत्र भोपाल शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह-परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक..... को निष्पादित किया गया है।

मैं ..... पिता/पति/पत्नी.....साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक मार्ग क्रमांक .....अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती..... को घोषित करता/करती हूँ।

साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक के हस्ताक्षर .....

नाम.....

पता.....

.....

1.गवाह के हस्ताक्षर .....

नाम एवं पता:—.....

.....

.....

.....

2.गवाह के हस्ताक्षर .....

नाम एवं पता:—.....

.....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

प्रभारी (विपणन)

भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

## दुग्ध उत्पाद विपणन मार्गों का संक्षिप्त विवरण

क्र.	नवीन दुग्ध उत्पाद विपणन मार्ग
1	बरकत उल्लाह यूनिवर्सिटी, सुरेन्द्र पैलेस, अहमदपुर कलां, सागर रायल विलास, कुंजन विहार फेस-1, 2, दानिश नगर, ज्योति नगर, संगम कालोनी, सुरुचि लाइफ स्केप, भाभा कालेज, मिसरोद से 11 मील तक की कालोनी, बंगरसिया
2	कस्तूरबा हॉस्पिटल, शक्ति नगर, साकेत नगर, अल्कापुरी, 9ए, 9बी, 4बी, साकेत नगर, 4सी साकेत नगर, अरविंद विहार, बागसेवनिया, कटारा, कटारा हिल्स, बरई, अमरावत खुर्द
3	बरखेड़ा पठानी, पिपलानी मार्केट, विजय मार्केट, अवधपुरी, एस.ओ.एस बालाग्राम, खजूरी रोड से बायपास रोड तक
4	ई-1, ई-2, ई-3, ई-4, ई-5, 1100 क्वार्टर्स, शाहपुरा ए.बी.सी सेक्टर, बिठल मार्केट, चार इमली, एम.पी. नगर जोन 01/02, शिवाजी नगर, तुलसी नगर
5	पारस सिटी, 11 नं., आशा निकेतन, 12 नं., ई-6, ई-7, ई-8, भरत नगर, त्रिलंगा, सेवाय काम्पलेक्स, गुलमोहर, तिलक नगर, रोहित नगर, बावड़िया कलां, आकृति इको सिटी, बीडीए सरदार पटेल योजना
6	साउथ टी.टी. नगर, सुनहरी बाग, हर्षवर्धन नगर, माता मंदिर, पंचशील नगर, आराधना नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, मेनिट, वैशाली नगर, नेहरू नगर, शास्त्री नगर, 23वीं बटालियन, भारत माता चौक, प्रेमपुरा, रातीबड़, नीलबड़, सूरजनगर
7	मिश्रा पार्लर, चूनाभट्टी तिराहा, पूर्ण चूनाभट्टी, सर्वधर्म एबीसी सेक्टर, अमरनाथ कालोनी, सागर प्रीमियम, शिर्डीपुरम, जे.के. हास्पिटल, दानिश कुंज, कान्हाकुंज, नयापुरा, गेहुंखेड़ा, ललिता नगर, प्रियंका नगर, कजलीखेड़ा, पूर्ण कोलार रोड कालोनी
8	निसांत कालोनी, सतपुड़ा भवन, मंत्रालय, अरेरा हिल्स, मैदा मिल, पत्रकार भवन, न्यू मार्केट, रंगमहल, जवाहर चौक, रोशनपुरा, ओल्ड सुभाष नगर, रचना नगर, गौतम नगर, अफज़ल कालोनी, जहांगीराबाद, बुधवारा, इस्लामपुरा, तलैया, इब्राहिमपुरा, काली बस्ती, सुल्तानिया रोड, रिजवान बाग
9	जिन्सी, बरखेड़ा, अल्पना टाकीज, पीरगेट, घोड़ा नक्कास, जुमेराती, शाहजहांनाबाद, ईदगाह हिल्स, नूरमहल, टीला जमालपुरा, परी बाजार, जानकी नगर, श्यामला हिल्स, सी.एम. हाउस, कमला पार्क, सी.आई. कालोनी
10	करबला रोड, कोहेफिजा, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, एन.आर.आई कालोनी, स्टेट बैंक चौराहा, हमीदिया हास्पिटल, रॉयल मार्केट, मथाई नगर, पंचवटी कालोनी, बैरागढ़ कलां, बैरागढ़, भैंसाखेड़ी, संत हिरदाराम नगर, मोचीपुरा, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, हलालपुरा बस स्टेण्ड, विजय नगर, लालघाटी, गुफा मंदिर, एयरपोर्ट

क्र.	नवीन दुग्ध उत्पाद विपणन मार्ग
11	आई.एस.बी.टी. पार्लर, जे.के. रोड, मीनाल, अयोध्या बायपास से भानपुर नादिरा बस स्टेंड, कैँची छोला, सिन्धी कालोनी, काजी केम्प, इब्राहिमगंज, डी.आई.जी., आरिफ नगर, नारियलखेड़ा, छोला, नवाब कालोनी, करोंद, जनता कालोनी, रूसल्ली, न्यू सेन्ट्रल जेल, एयरपोर्ट रोड, गांधी नगर, अब्बास नगर, गोंदरमऊ, गांधी नगर न्यू बायपास, निशातपुरा, भानपुर, पिपुल्स कालेज, भोपाल मेमोरियल, लाम्बाखेड़ा, नईजेल,
12	अशोका गार्डन, बाग दिलकुशा, बाग फरहत अफज़ा, उमराव दूल्हा बाग, अशोक विहार, सम्राट कालोनी, नवीन नगर, मयूर विहार, चांदबड़, बजरिया, भोपाल स्टेशन रेल्वे पार्लर, द्वारका नगर, कोलुआ कलां, कोच फैक्ट्री, वर्धमान ग्रीन कालोनी, सुभाष कालोनी, सेमरा, करारिया, साजिदाबाद
13	इण्डस टाउन, चिनार इण्डस फेस-2, हरिगंगा, चिनार झील सिटी, राधापुरम, कृष्णापुरम, समरधा, संपूर्ण मण्डीदीप क्षेत्र, इण्डस्ट्रियल एरिया, नयापुरा तक, ओबेदुल्लागंज रोड
14	गोविंदपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, आई.टी.आई, इन्द्रपुरी, भारत नगर, निज़ामुद्दीन, सोनागिरी, अयोध्या नगर संपूर्ण क्षेत्र, एक्सटेंशन सहित, नरेला शंकरी, बिजली कालोनी, गोविंद गार्डन
15	कल्पना नगर, रत्नागिरी, राजीव नगर, नरेला शंकरी के बाद मुस्कान हास्पिटल से अयोध्या बायपास के दोनों तरफ की कालोनी, आनंद नगर तक, रजत नगर, लक्ष्मी नगर, पटेल नगर, इण्डस पार्क, सिद्धार्थ लेक सिटी, एन.आर.आई कॉलेज, ओरिएन्टल कॉलेज, कोकता, आनंद नगर, हथार्ईखेड़ा, एल.एन.सी.टी कॉलेज, बिलखिरिया तक
16	भोपाल से साँची, सलामतपुर, दीवानगंज विदिशा, ग्यारसपुर गंजबसोदा मार्ग
17	भोपाल से रायसेन, नटेरन, गैरतगंज, बेगमगंज मार्ग
18	भोपाल से सिहोर, आष्टा मार्ग
19	भोपाल से ओबेदुल्लागंज, होशंगाबाद, इटारसी मार्ग
20	भोपाल से टिमरनी, हरदा, नसरुल्लागंज, रेहटी मार्ग

उपरोक्त मार्गों का विस्तृत विवरण आगामी पृष्ठों पर संलग्न है।

प्रपत्र-1

**Product Distibuter's Monthwise Target January to December**

S.no	Month/Rout No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Monthwise Total Target
1	January	685000	650000	650000	645000	645000	735000	750000	1000000	350000	850000	300000	905000	575000	510000	510000	255000	11000	640000	27500	100000	8165000
2	February	822000	780000	780000	774000	774000	882000	900000	1200000	420000	1020000	360000	1086000	690000	612000	612000	306000	13200	768000	33000	120000	9798000
3	March	1370000	1300000	1300000	1290000	1290000	1470000	1500000	2000000	700000	1700000	600000	1810000	1150000	1020000	1020000	510000	22000	1280000	55000	200000	16330000
4	April	1644000	1560000	1560000	1548000	1548000	1764000	1800000	2400000	840000	2040000	720000	2172000	1380000	1224000	1224000	612000	26400	1536000	66000	240000	19596000
5	May	1918000	1820000	1820000	1806000	1806000	2058000	2100000	2800000	980000	2380000	840000	2534000	1610000	1428000	1428000	714000	30800	1792000	77000	280000	22862000
6	June	1233000	1170000	1170000	1161000	1161000	1323000	1350000	1800000	630000	1530000	540000	1629000	1035000	918000	918000	459000	19800	1152000	49500	180000	14697000
7	July	822000	780000	780000	774000	774000	882000	900000	1200000	420000	1020000	360000	1086000	690000	612000	612000	306000	13200	768000	33000	120000	9798000
8	August	822000	780000	780000	774000	774000	882000	900000	1200000	420000	1020000	360000	1086000	690000	612000	612000	306000	13200	768000	33000	120000	9798000
9	September	1233000	1170000	1170000	1161000	1161000	1323000	1350000	1800000	630000	1530000	540000	1629000	1035000	918000	918000	459000	19800	1152000	49500	180000	14697000
10	October	1370000	1300000	1300000	1290000	1290000	1470000	1500000	2000000	700000	1700000	600000	1810000	1150000	1020000	1020000	510000	22000	1280000	55000	200000	16330000
11	November	959000	910000	910000	903000	903000	1029000	1050000	1400000	490000	1190000	420000	1267000	805000	714000	714000	357000	15400	896000	38500	140000	11431000
12	December	822000	780000	780000	774000	774000	882000	900000	1200000	420000	1020000	360000	1086000	690000	612000	612000	306000	13200	768000	33000	120000	9798000
<b>Routwise Total Target</b>		<b>13700000</b>	<b>13000000</b>	<b>13000000</b>	<b>12900000</b>	<b>12900000</b>	<b>14700000</b>	<b>15000000</b>	<b>20000000</b>	<b>7000000</b>	<b>17000000</b>	<b>6000000</b>	<b>18100000</b>	<b>11500000</b>	<b>10200000</b>	<b>10200000</b>	<b>5100000</b>	<b>220000</b>	<b>12800000</b>	<b>550000</b>	<b>2000000</b>	<b>215870000</b>

नोट : उपरोक्त दी गई न्यूनतम वार्षिक विक्रय लक्ष्य राशि गतवर्षों के औसत विक्रय के आधार पर दी गई है।

दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.01		
बरकत उल्लाह यूनिवर्सिटी, सुरेन्द्र पैलेस, अहमदपुर कला, सागर रायल विलास, कुंजन नगर फेस-I/II, दानिश नगर, ज्योति नगर, संगम कालोनी, सुरुचि लाइफ स्केप, भाभा कालेज, मिसरोद से 11 मील तक की कालोनी, बंगरसिया		
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	सुरेन्द्र पार्लर	सुरेन्द्र पैलेस
2	विधानगर पार्लर	विधानगर
3	400	दानिसनगर
4	135	विधानगर
5	रामायण ऐ.	सुरेन्द्र पैलेस
6	फुटलेट ऐ.	दानिश
7	बर्फी हाउस	दानिश
8	संगीता ऐ.	दानिश
9	श्री राम ऐ.	नारायण नगर
10	575	डी मार्ट
11	576	विधानगर
12	381	रजत नगर गेट
13	382	स्नेह नगर
14	सौरभ ऐ.	स्नेह नगर
15	मनभावन ऐ.	श्री राम कालोनी
16	397	निखिल
17	नितिन ऐ.	श्री राम कालोनी
18	डिपो नं. 603	आशीमा मोल
19	538	जाटखेड़ी जोड़
20	मनसा ऐ.	जाटखेड़ी जोड़
21	आदिनाथ पार्लर	शिक्षक कालोनी
22	धाकड़ ऐ.	भेलसंगम
23	301	भेलसंगम
24	संग्राम ऐ.	भेलसंगम
25	370	संतआसाराम
26	डे टू डे ऐ.	बागमुगालिया
27	559	बागमुगालिया
28	265	बागमुगालिया
29	254	अम्बेडकर चौराहा
30	267	बागमुगालिया
31	पारस ऐ.	बागमुगालिया
32	राजू ऐ.	निरूपम
33	ब्रदर्स पार्लर	निरूपम
34	अवधेश ऐ.	निखिल
35	439	रूपलविलास
36	308	रूपलविलास
37	सम्पूर्ण ऐ.	सागर रायल
38	291	नरबाबा मंदिर
39	487	हनुमान मंदिर
40	444	आनंद नगर

41	288	गोल्डन सिटी
42	447	भाभा कालेज
43	सेवक ऐ.	रुची
44	505	रुची
45	नरेन्द्र	भेल संगम
46	गेलेक्सी ऐ.	भेल संगम
47	भाटिया एजेंसी	बंगरसिया
48	238 बटालियन	बंगरसिया
49	भाग्य श्री	बंगरसिया
50	C-21	(2) माल मिसरोद
51	आईस एजेंसी	नोबल हॉस्पिटल के पास
52	डिपों-437	जे.सी.बी.बेस्ट प्राईज
53	डिपों-579	बंगरसिया
54	चिन्त्रास एजेंसी	कृष्ण पुरम
55	लवली ऐ.	इन्डस टाउन
56	आमेर ग्रीन होटल	होशांगाबाद रोड
57	आकाश एजेंसी	आई.एस.स्कूल
58	त्रिलोक	कृष्णपुरम
59	एस.के.एजेंसी	चिनार
60	महेश्वरी ऐ0	आई.एस.स्कूल
61	सतनामी ऐ0	11 मील
62	विवेक ऐ0	चिनार
63	राहुल ऐ0	ईश्वर नगर
64	विनय ऐ0	11 मील
65	अबिका ऐ0	साहारा
66	गन्धर्व ऐ0	जे.सी.बी.के पास
67	ग्रान्थ ऐ0	जे.सी.बी.के पास
68	सी.आर.पी.एफ	बंगरसिया
69	आर ए एफ	हिनौतिया
	उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।	
	विपणन पर्यवेक्षक	सहायक महाप्रबंधक



दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.02		
कस्तूरबा हॉस्पिटल, शक्ति नगर, साकेत नगर, अल्कापुरी, 9ए, 9बी, 4बी, साकेत नगर, 4सी साकेत नगर, अरविंद बिहार, बागसेवनिया, कटारा, कटारा हिल्स, बरई, अमरावत खुर्द		
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	102	डी.आर.एम. कालोनी
2	339	अलकापुरी
3	ईशपार्लर	अलकापुरी
4	141	साकेतनगर
5	162	साकेतनगर
6	534	साकेतनगर
7	जय हनुमान पार्लर	साकेतनगर
8	7 एकड पार्लर	7 एकड
9	उपाध्या ऐ.	साकेतनगर
10	अलका ऐ.	अलकापुरी
11	486	एमस चौराहा
12	496	अलकापुरी चौराहा
13	126	एमस गेट 01
14	310	एमराल्ड
15	एमराल्ड ऐं	एमराल्ड
16	289	अमराई
17	पंकज ऐ.	अमराई
18	235	अमराई
19	मीरा ऐ.	अमराई
20	बजरंग पार्लर	अरविन्द विहार
21	फौजी पार्लर	अरविन्द विहार
22	51	अरविन्द विहार
23	अमित ऐ.	अरविन्द विहार
24	रैकवार ऐ.	16 दूकान
25	मंडलोई ऐ.	अरविन्द विहार
26	पृथ्वी ऐ.	नंदगावं
27	305	जाटखेड़ी
28	523	प्लावर सिटी
29	347	कादम्बनी
30	512	जाटखेड़ी
31	9A पार्लर	साकेत नगर B.D.A
32	शुक्ला पार्लर	साकेत नगर
33	600	हवीवगंज स्टेशन
34	520	रिलायंस प्लेस
35	469	स्टालिंग
36	464	केन्द्रीय विधायलय
37	272	साकेतनगर
38	111	साकेतनगर
39	68	साकेतनगर
40	सन्मती ऐ.	साकेतनगर
41	462	डी .आ.एम. आफिस

42	परवेज ऐ.	बागसेवनिया थाना
43	रेनू ऐ.	बागसेवनिया थाना
44	312	बागसेवनिया थाना
45	चन्द्रेश ऐ.	बागसेवनिया थाना
46	परमार पार्लर	बागसेवनिया थाना
47	सुन्दर भोग	बागसेवनिया थाना
48	465	कादम्बनी
49	15	कादम्बनी
50	मोटवानी ऐं.	पंचवटी
51	144	पंचवटी
52	137	शक्ती नगर
53	बादल ऐ.	हवीवगंज गाली कालोनी
54	191	साकेत नगर
55	गोल्डी	शक्ती नगर मार्केट
56	सक्सेना पार्लर	हवीवगंज गाली कालोनी
57	वाटिका BHEL	कस्तुरबा
58	FRP-H1	हवीवगंज
59	रोमा ऐ.	पंचवटी
60	आम्रपाली पार्लर	आम्रपाली पार्लर
61	211	लहारपुर
62	212	लहारपुर
63	लहारपुर ऐ.	लहारपुर
64	शिवशक्ती ऐ.	लहारपुर
65	543	कटारा
66	526	कटारा
67	482	अमलतास
68	500	वराई
69	495	वराई रोड
70	480	स्प्रिंग वैली
71	374	पार्क सीटी
72	स्प्रिंगवैली ऐ.	सिगनेचर
73	हेवर्स ऐ.	सिगनेचर कालोनी
74	राजपूत ऐ.	वराई
75	निरामय ऐ.	वराई रोड
76	अकुल ऐ.	वराई
77	वराई ऐ.	स्प्रिंगवैली
78	धावनी	वराई
उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।		
नोट :- प्रतिभूति राशि		
विपणन पर्यवेक्षक		
		सहायक महाप्रबंधक

दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.03		
बरखेड़ा पठानी, पिपलानी मार्केट, विजय मार्केट, अवधपुरी, एस.ओ.एस बालाग्राम, खजूरी रोड से बायपास रोड तक		
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	कृष्णा पार्लर	विजय मार्केट
2	वरखेड़ा पार्लर	विजय मार्केट
3	लक्ष्मी पार्लर	विजय मार्केट
4	अवन्तिका ऐ.	अवन्तिका कालोनी
5	अमृत ऐ.	रीगल टाउन
6	डिपो नं.430	अविनास नगर
7	सुरुभी पार्लर	सुरुभी एवेन्यू
8	डिपो नं.338	मूगान्तर
9	सोनी ऐ.	विधा सागर
10	भंडारी ऐ.	एम.बी. काम्पलेक्स
11	चीनू ऐ.	बी.डी.ए. कालोनी
12	आर.प्रसाद	दीप नगर
13	प्रभा ऐ.	बी.डी.ए. कालोनी
14	डिपो नं.277	बी.डी.ए. कालोनी
15	डिपो नं.423	बी.डी.ए. कालोनी
16	होल्कर ऐ.	बसस्टाप
17	मुस्कान पार्लर	एवेन्यू
18	डिपो नं.255	तन्वी कालोनी
19	प्रीती ऐ.	अमृतपुरी
20	विशाल ऐ.	राधाकुंज
21	अवधपुरी ऐ.	अवधपुरी
22	रुद्राणी पार्लर	अवधपुरी चौराहा
23	डिपो नं.453	अनुपम नगर
24	डिपो नं.561	न्यू श्री राम कालोनी
25	विजय पार्लर	पिपलानी
26	नगोत्रा ऐं.	सुखविहार
27	विकासा	शिवलोक
28	डिपो नं.223	एस.ओ.एस
29	डिपो नं. 286	पूर्वांचल
30	डिपो नं.266	पानी की टंकी के पास
31	जय भोले ऐं	खजूरी रोड
32	खेडले ऐं	खजूरी रोड
33	डिपो नं.509	खजूरी रोड
34	डिपो नं.583	खजूरी रोड
35	ओ.एम.जी ऐं	खजूरी रोड
36	डिपो नं.527	पिरिया
37	अंशिका ऐं.	अन्नद नगर
38	धेनु पार्लर	पटेल नगर
39	कंकाली ऐं.	पटेल नगर
40	त्यागी ऐं.	अन्नद नगर

41	डिपो नं. 342	पटेल नगर
42	डिपो नं 521	पटेल नगर
43	कर्मा ऐ.	अन्नद नगर
44	डिपो नं. 522	राजहर्ष कालोनी
45	प्रदीप ऐ.	नेहरू मार्केट
46	मुनमुन पार्लर	बजरंग मार्केट
47	कटियार ऐ.	पठानी
48	डिपो नं. 294	पठानी
49	नगर ऐ.	पठानी
50	140	पठानी
51	139	चपाती केन्ड
52	525	पंछी नगर
53	पिपलानी पार्लर	गांधी मार्केट
54	सिद्धथ ऐ.	निरमल पैलेस
55	सारदा ऐ.	निरमल पैलेस
56	तिर्की ऐ.	निरमल पैलेस
57	चित्रा ऐ.	निरमल पैलेस
58	आस्था ऐ	आस्थविहार
59	सोमनाथ ऐ.	आस्थविहार
60	श्री राधे ऐ.	रीगल नेक्स
61	रविन्द्र ऐ.	रीगल टाउन
62	446	वर्धमान
63	त्रिदीप ऐं	सी सेक्टर बड़खेड़ा
64	विनित पार्लर	महात्मा गांधी चौराहा
65	आलोक ऐ.	महात्मा गांधी चौराहा
66	सेंट थेरेसा स्कूल केन्टीन	सेंट थेरेसा स्कूल
67	ओरिएंटल कॉलेज केन्टीन	ओरिएंटल कॉलेज
68	एन.आर.आई कॉलेज केन्टीन	एन.आर.आई कॉलेज
69	एल.एन.सी.टी कॉलेज केन्टीन	एल.एन.सी.टी. कॉलेज
70	टी.आई.टी कॉलेज केन्टीन	टी.आई.टी कॉलेज
71	बंसल कॉलेज केन्टीन	बंसल कॉलेज
72	ट्रीनिटी कॉलेज केन्टीन	ट्रीनिटी कॉलेज
73	सेंट मोन्टफोर्ट स्कूल केन्टीन	सेंट मोन्टफोर्ट स्कूल
उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राइवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।		
नोट :- प्रतिभूति राशि		
विपणन पर्यवेक्षक		
		सहायक महाप्रबंधक

दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.04		
ई-1, ई-2, ई-3, ई-4, ई-5, 1100 क्वार्टर्स, शाहपुरा ए,बी,सी सेक्टर, बिठ्ठल मार्केट, चार इमली, एम.पी. नगर ज़ोन 01/02, शिवाजी नगर, तुलसी नगर		
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	डिपो 551	बिठ्ठल मार्केट
2	डिपो 507	फ्रेक्चर हास्पिटल के बाजू में
3	डिपो नं. 249	हनुमान मंदिर के सामने
4	डिपो नं. 132	ई-6 अरेरा कॉलोनी
5	डिपो नं. 12	ई-5 अरेरा कालोनी
6	बीबीडी टी 7	1100 क्वार्टर्स (हनुमान मंदिर के सामने)
7	डिपो नं. 227	1100 क्वार्टर्स चौराहा
8	डिपो नं. 5	कैम्पियन स्कूल चौराहा
9	डिपो नं. 315	कैम्पियन स्कूल के सामने
10	डिपो नं. 17	ए सेक्टर शाहपुरा
11	डिपो. .9	11 नं. स्टाप
12	डिपो नं. 14	चित्रास कालोज के पास
13	डिपो नं. 33	विवेक अपार्टमेंट ई-7
14	डिपो नं. 219	अशोका अपार्टमेंट के पास
15	बांसखेड़ी एजेंसी	बांसखेड़ी ई-5 के सामने
16	अन्नू एजेंसी	सी सेक्टर शाहपुरा
17	पारस सिटी पार्लर	अरेरा कॉलोनी
18	आईएचएम पार्लर	आईएचएम के सामने
19	झील पार्लर	ऋषभदेव उद्यान शाहपुरा
20	हबीबगंज थाना पार्लर	हबीबगंज थाने के पास
21	मनीषा पार्लर	मनीषा मार्केट (शाहपुरा)
22	आयुष्मान पार्लर	सी सेक्टर शाहपुरा
23	प्रियदर्शनी पार्लर	बिठ्ठल मार्केट
24	छटवां पार्लर	शाहपुरा
25	शाहपुरा पार्लर	आयुष्मान हास्पिटल के सामने
26	स्मृति पार्लर	आयुर्वेदिक हास्पिटल के सामने
27	आयुर्वेदिक हास्पिटल	शिवाजी नगर
28	माया सॉची पालर	कांग्रेस कार्यालय के सामने
29	मयूर पार्लर	मयूर पार्क के पास
30	रेडक्रास पार्लर	1250 हास्पिटल के पीछे
31	ओमशिव पार्लर	5नं. स्टॉप
32	नर्मदा पार्लर	नर्मदा भवन के सामने
33	रंजना पार्लर	एस.बी.आई बैंक के सामने
34	6 नम्बर पार्लर	6 नं. सुभाष मार्केट
35	श्रवण पार्लर	नूतन कालेज के पास
36	5 नं. पार्लर	5नं. स्टॉप
37	डिपो नं. 55	अंकुर कॉप्लेक्स
38	डिपो नं. 515	तुलसी नगर
39	डिपो 454	अर्जून नगर
40	विनोद एजेंसी	अर्जून नगर

41	गिरी एजेंसी	अर्जून नगर
42	डिपो नं. 56	नगर निगम ऑफिस के बाजू में
43	डिपो नं. 58	सरस्वती स्कूल के पास
44	डिपो नं. 188	श्वेता काम्पलेक्स के सामने
45	डिपो नं.372	6नं. सुलभ कॉम्पलेक्स के पीछे
46	टी-5	5-6 नं. स्टॉप के बीच
47	टी-4	नूतन मार्केट (तुलसी नगर)
48	डिपो नं. 348	तुलसी नगर
49	डिपो नं. 196	तुलसी नगर 3 स्टॉप
50	चन्द्रेश एजेन्सी	जे.पी हास्पिटल के सामने
51	डिपो नं. 63	तुलसी नगर
52	डिपो नं. 483	आराधना नगर
53	डिपो 29	संजय काम्पलेक्स
54	डिपो 434	जवाहर भवन के पास
55	दादू एजेंसी	दुर्गा मंदिर भीमनगर
56	जे0पी0 हास्पिटल	जे0पी0 हास्पिटल
57	डिपो नं.-20	चार ईमली
58	डिपो नं.-300	रविशंकर तिराहा
59	डिपो नं.-419	चार ईमली
60	डिपो नं.-67	चार ईमली आई.ए.एस गेस्ट हाउस
61	डिपो नं.-75	लिंग रोड न. 3 सुलभ कामपलेक्स के पास
62	डिपो नं.-60	चार ईमली उपांत कालोनी
63	डिपो नं.-57	चार ईमली हनुमान मन्दिर के पास
64	डिपो नं.-23	एम.एन.आई.टी.कैम्पस
65	महाकाल 410	रविशंकर तिराहा
66	अपना पार्लर	मेनिट कैम्पस
67	डीपो नं. 274	मेनिट चौराहा
68	कामधेनु एजेंसी	शाहपुरा ए सेक्टर
69	पंण्डित एजेंसी	स्टरलिंग शाहपुरा
70	मो. हेमाम्बरा पार्लर	E-2 अरेरा कालोनी
71	E2 नर्सरी पार्लर	अरेरा कालोनी
72	डिपो -353	E-2 कैम्पियन ग्रांड
73	डिपो -2	E-2 अरेरा कालोनी
74	डिपो-3	E-1 नरोरा साहब के सामने
75	डिपो-16	E-3 अरेरा कालोनी
76	अवधेश एं	दस नम्बर स्टाप
77	गुप्ता पार्लर	दस नम्बर स्टाप
78	डिपो नं. 6	6.5 स्टाप शिवाजी नगर
79	डिपो नं. 143	दत्त मन्दिर के बगल
80	इन्द्रापार्लर	रविशंकर नगर
81	डिपो 18	रविशंकर वॉर्ड कालोनी
82	डिपो 352	चार इमली टाइप
83	R.B.I पार्लर	पारुल कर अस्पताल के सामने
84	तृप्ती पार्लर	थाना के पास
85	विठठल पार्लर	बिठठल मार्केट

86	विजयस्तंभ पार्लर	विजयस्तंभ के पास एम.पी. नगर जोन-1
87	चितौड़ पार्लर	चितौड़ काम्प्लेक्स
88	हनुमान पार्लर	होटल सुरेन्द्र विलास के सामने जोन 1
89	महारुद्रेश्वर पार्लर	बस स्टॉप जोन - 1
90	ज्योति पार्लर	ज्योति टाकीज के पास
91	विनीती पार्लर	एमपी नगर जोन -2
92	डिपो नं. 53	एम.पी.नगर जोन -2
93	पीताम्बरा 410	पुरानी पी.एफ ऑफिस जोन 2
94	सोनिया 410	एमपी नगर जोन 2
95	बाधेला पार्लर	बैंक स्ट्री रोड जोन 2
96	डिपो नं. 54	प्रगति पेट्रोल पम्प के पास
97	डेली नीडस पार्लर	पारूल अस्पताल के सामने
98	B.V.D.T.6	6.5 स्टाप शिवाजी नगर
99	D.P.I.	7 नम्बर स्टाप
100	7 नम्बर पार्लर	सात नम्बर
101	निरामय पार्लर	हबीबगंज स्टेशन के सामने
102	भारत साँची पार्लर	बी.जे.पी कार्यालय के पास
103	न्यू भारती पार्लर	शिवाजी नगर (प्रगति के सामने)
104	एस.के.एम.पी	आनंद नमकीन एमपी नगर जोन 2
105	ऑनडोर	एमपी नगर जोन 2
106	होटल आमेर ग्रीन	एमपी नगर जोन 1
107		साई बैंक के सामने जोन 1
	उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।	
	विपणन पर्यवेक्षक	सहायक महाप्रबंधक

दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.05		
पारस सिटी, 11 नं., आशा निकेतन, 12 नं., ई-6, ई-7, ई-8, भरत नगर, त्रिलंगा, सेवाय काम्पलेक्स, गुलमोहर, तिलक नगर, रोहित नगर, बावड़िया कलां, आकृति इको सिटी, बीडीए सरदार पटेल योजना		
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	डिपो नं. 478	डी.के. कॉटेज के सामने
2	डिपो नं. 479	दाना पानी के सामने
3	डिपो नं. 594	राधा की धाणी के सामने
4	डिपो नं. 69	रोहित नगर फेस 2
5	डिपो नं. 373	आनन्द आर्पमेंट
6	डिपो नं. 245	नहर के पास
7	डिपो नं. 459	आकृति इको सिटी के सामने
8	डिपो नं. 458	बाबड़ियाकलां गाव
9	डिपो नं. 343	रोहित नगर नहर के पास
10	डिपो नं. 448	मंदिर के पास बाबड़िया
11	डिपो नं. 413	भरत नगर
12	डिपो नं. 450	शिवाय फेस 2
13	डिपो नं. 230	गुलमोहर कालोनी
14	डिपो नं. 474	आकृति इको ग्रीन
15	विनायक एजेंसी	गुलमोहर कालोनी
16	द्विवेदी एजेंसी	रोहित नगर फेस 1
17	मिनी एजेंसी	आकृति इकोसिटी
18	प्रशांत एजेंसी	भरत नगर
19	सफल एजेंसी	संकल विहार
20	राहुल एजेन्सी	ईश्वर नगर
21	इको सिटी एजेन्सी	ईको सिटी
22	वासूदेव एजेंसी	बावड़िया कलां
23	24 करेट एजेंसी	पेट्रोल पम्प के सामने
24	प्योर वेज एजेंसी	तिलक नगर
25	पूर्वी एजेंसी	फरब्यून सिगनेचर
26	मुकुल एजेंसी	पेट्रोल पम्प के सामने
27	घरौदा पार्लर	बी.डी.ए सलैया के आगे
28	साउथ एवेन्च्यु पार्लर	साउथ एवेन्च्यु
29	तिलक नगर पार्लर	तिलक नगर
30	विजय श्री पार्लर	इंडस गार्डन
31	जय भारत एजेन्सी	आकृति गेट के पास
32	डिपो नं. 449	रेलवे फाटक के पास
33	डिपो नं. 176	सालीमार कालोनी के गेट पर
34	डिपो नं. 558	पारस सिटी के पास
35	11 नं. पार्लर	11 नं. स्टाप के पास
36	सिसोदिया पार्लर	11 नं. चौराहा
37	माधव एजेंसी	त्रिलंगा मार्केट
38	महेश एजेंसी	त्रिलंगा मार्केट



39	गुप्ता किराना	त्रिलंगा पार्क के सामने
40	सत्यम एजेन्सी	जनता क्वार्टर्स
41	डिपो नं. 279	शाहपुरा (स्टारलिंग)
42	डिपो नं. 384	त्रिलंगा
43	डिपो नं. 493	शाहपुरा थाने के सामने
44	डिपो नं. 595	शाहपुरा थाने के सामने
45	डिपो नं. 302	जनता क्वार्टर्स
46	डिपो नं. 186	त्रिलंगा
47	डिपो नं. 10	साईबोर्ड से शाहपुरा थाना
48	चीनी पार्लर	12 नं. स्टॉप
49	ग्रीनसिटी पार्लर	रिलाइन्स फ्रेश के सामने
50	त्रिलंगा पार्लर	त्रिलंगा
51	सांवलिया एजेन्सी	जनता क्वार्टर्स
52	भइयो एजेन्सी	जनता क्वार्टर्स
53	सनी पार्लर	साईवोरड
54	ईश्वर नगर पार्लर	शासकीय कालोनी ईश्वर नगर गेट
55	बैकुण्ठ पार्लर	हाउसिंग बोर्ड भरत नगर
56	डिपो नं. 38	केन्द्रीय कर्मचारी कोलोनी के गेट के पास
57	डिपो नं. 185	12 नं. आवासीय योजना
58		
	उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।	
	विपणन पर्यवेक्षक	सहायक महाप्रबंधक

दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.06		
साउथ टी.टी. नगर, सुनहरी बाग, हर्षवर्धन नगर, माता मंदिर, पंचशील नगर, आराधना नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, मेनिट, वैशाली नगर, नेहरू नगर, शास्त्री नगर, 23वीं बटालियन, भारत माता चौक, प्रेमपुरा, रातीबड़, नीलबड़, सूरजनगर		
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	दीप पार्लर	न्यूमेरी स्कूल के सामने
2	हनुमान पार्लर	चक्की चौराह
3	डिपो नं. 62	दुर्गा मंदिर पंचशील
4	चांद एजेंसी	पंचशील
5	सतवीर एजेंसी	पंचशील
6	विकास एजेंसी	पंचशील
7	कृष्णा एजेंसी	माता मंदिर
8	हर्ष एजेन्सी	हर्षवर्धन नगर
9	मनोज एजेन्सी	हर्षवर्धन नगर
10	डिपो नं. 138	प्लेटिनम प्लाजा
11	डिपो नं. 25	राममंदिर के पास
12	डिपो नं.24	हर्षवर्धन नगर
13	डिपो नं. 406	माता मंदिर आई टाइप क्वाटर
14	हर्षवर्धन पार्लर	हर्षवर्धन नगर
15	माता मंदिर पार्लर	पुरानी माता मंदिर
16	डिपो नं. 61	शासकीय आवास सेकण्ड स्टॉप
17	डिपो नं. 116	आदर्श नवदुर्गा मंदिर के पास
18	डिपो नं. 528	अंजली कॉम्प्लेक्स 2 नं. स्टॉप
19	2 नम्बर पार्लर	सेकेन्ड स्टॉप तुलसी नगर
20	आस्था पार्लर	जवाहर चौक के सामने
21	सहायद्री पार्लर	सहायद्री काम्प्लेक्स
22	वायरलस पार्लर	वायरलस कालोनी
23	नीलम पार्लर	भदभदा रोड जवाहर चौक
24	डिपो नं. 434	जवाहर लाल भवन के सामने
25	डिपो नं. 39	अंकुर स्कूल 74 बंगले के सामने
26	डिपो नं. 566	तात्या टोपे स्टेडियम के सामने
27	डिपो नं. 432	मॉडल स्कूल पार्क के पास
28	डिपो 45	साउथ टीटी नगर
29	डिपो 42	सहायद्री कालोनी
30	डिपो नं. 330	झरनेश्वर मंदिर
31	डिपो नं. 323	डिपो चौराह के उपर
32	डिपो नं. 28	228 क्वार्टर्स टी.टी. नगर
33	डिपो नं. 269	चर्चा के पास
34	डिपो नं. 91	सरस्वती नगर
35	डिपो नं. 70	सुनहरी बाग
36	डिपो नं. 206	सुनहरी बाग टी.टी. नगर
37	लक्ष्मी एजेंसी	जवाहर चौक
38	आर्शिवाद एजेन्सी	गुरुनानक मार्केट एम.एल.ए के सामने
39	शिवम एजेंसी	आठ दुकान कटसी

40	अनुपम एजेन्सी	गुरुनानक मार्केट
41	डिपो नं. 47	शास्त्री नगर
42	डिपो नं. 268	सुनहरी बाग टी.टी. नगर
43	डिपो नं. 592	टी.टी. नगर स्टेडियम के पास
44	डिपो 499	भदभदा विश्राम घाट के पास
45	भागवत एजेंसी	अम्बेडकर नगर
46	डिपो 31	हनुमान मंदिर अम्बेडकर नगर
47	डिपो नं. 52	अन्नपूर्ण काम्पलेक्स
48	द्वारकापुरी पार्लर	पी एण्ड टी चौराह हजेला चौकी
49	प्रीती एजेन्सी	नया बसेरा
50	पार्वती एजेन्सी	नया बसेरा
51	डिपो नं. 379	नया बसेरा
52	यादव एजेन्सी	कोटरा मेन रोड
53	डिपो नं. 435	कोटरा रोड
54	डिपो नं. 517	पुलिस कालोनी नेहरू नगर
55	डिपो नं. 498	नेहरू नगर
56	डिपो नं. 484	नेहरू नगर
57	डिपो नं. 411	शबरी नगर
58	डिपो नं. 77	भदभदा रोड नेहरू नगर
59	डिपो नं. 19	डी-सेक्टर नेहरू नगर
60	डिपो नं. 264	पुलिस ग्राउंड नेहरू नगर
61	डिपो नं. 476	पुलिस ग्राउंड नेहरू नगर
62	डिपो नं. 431	पुलिस ग्राउंड नेहरू नगर
63	डिपो नं. 529	भदभदा रोड नेहरू नगर
64	सचिन एजेंसी	नेहरू नगर
65	बालाजी एजेन्सी	डी-सेक्टर नेहरू नगर
66	सुरेश ऐं	गोमती कालोनी नेहरू नगर
67	हनी पार्लर	नेहरू नगर
68	नेहरू नगर पार्लर	नेहरू नगर चौराहा
69	शास्त्री नगर पार्लर	पी एण्ड टी चौराह
70	देव भूमि पार्लर	पुलिस लाईन नेहरू नगर
71	पुरोहित ऐं	नेहरू नगर
72	सनराईज ऐं	गोमती कालोनी नेहरू नगर
73	डिपो नं. 200	भदभदा रोड नेहरू नगर
74	डीपो नं. 32	एन.टी.चौराहा
75	श्रेया ऐं.	नेहरू नगर
76	डिपो नं. 546	पम्पापुरा आवासीय योजना
77	बालाजी पार्लर	रिवेरा टाउन गेट के पास
78	वैशाली पार्लर	वैशाली नगर तिरहा
79	आराधना एजेन्सी	आराधना नगर
80	डिपो नं. 124	आराधना नगर
81	नारायण पार्लर	आराधना नगर चौराहा

82	डिपो नं. 35	गीतांजली काम्पलेक्स
83	डिपो नं. 240	हजेला हास्पिटल के सामने
84	डिपो नं. 246	अंबेडकर पार्क के पास
85	डिपो नं. 22	कमला नगर शासकीय आवास
86	डिपो नं. 396	बैंक ऑफ बड़ोदा कोटरा के सामने
87	किरण एजेन्सी	कोटरा मार्केट
88	मन एजेन्सी	कोटरा मार्केट
89	अग्रवाल एजेन्सी	कोटरा मार्केट
90	श्री कृष्ण एजेन्सी	कोटरा गांव
91	चौहान एजेन्सी	कोटरा
92	सोलंकी एजेन्सी	कोटरा मार्केट किराना
93	सुशीला पार्लर	बिजली ऑफिस के पास कोटरा
94	कोटरा पार्लर	कोटरा
95	डिपो नं. 573	कोटरा
96	मथुरा एजेन्सी	कोटरा
97	गीतांजली पार्लर	गीतांजली काम्पलेक्स
98	डिपो नं. 252	भदभदा पुल के आगे
99	प्रताप एजेन्सी	नीलबढ़
100	लीला एजेन्सी	नीलबढ़
101	डिपो नं. 587	रातीबढ़
102	डिपो नं. 578	सुरज नगर
103	राजू एजेन्सी	बरखेड़ी कलां
104	नरसिंह ऐं	व्ही.एन.एस. कालेज के आगे गांव
105	रोहन ऐं	ब्रहमपुरी कालोनी
106	राय ऐं	जैन कालोनी
107	जगन्नाथ ऐं	नीलबढ़ के पास
108	शिव पार्लर	नीलबढ़
109	डीपो ने. 470	रातीबढ़ चौराहा
110	डीपो ने. 530	सुरज नगर
111	रिचा ऐं	ब्रहमपुरी कालोनी
112	सुदेश ऐं	रातीबढ़ चौराहा
113	अमृता ऐं	नीलबढ़ चौराहा
114	नवोदय विधालय	रातीबढ़ चौराहा
115	सागर कालेज	रातीबढ़ चौराहा
116	Law कालेज	केरवा रोड
117	23वीं बटालियन	गेट के अंदर
118	निहारिका ऐं	प्रेमपुरा गांव
119	न्यू उमा एजेन्सी	प्रेमपुरा गांव
120	डिपो नं. 163	23वीं बटालियन के सामने
121	नीरज ऐं	प्रेमपुरा गांव
	उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।	
	विपणन पर्यवेक्षक	सहायक महाप्रबंधक

दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.07		
मिश्रा पार्लर, चूनाभट्टी तिराहा, पूर्ण चूनाभट्टी, सर्वधर्म एबीसी सेक्टर, अमरनाथ कालोनी, सागर प्रीमियम, शिर्डीपुरम, जे.के. हास्पिटल, दानिश कुंज, कान्हाकुंज, नयापुरा, गेहुंखेड़ा, ललिता नगर, प्रियंका नगर, कजलीखेड़ा, पूर्ण कोलार रोड कालोनी		
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	मिश्रा पार्लर	कोलार तिराहा
2	कोलार पार्लर	कोलार चौराहा
3	लीला पार्लर	चूनाभट्टी राम मन्दिर के पास
4	लायंस पार्लर	लायंस क्लब चूनाभट्टी
5	सागर पार्लर	सागर गार्डन चूनाभट्टी
6	डिपो न.-405	काली जी मन्दिर के पास चूनाभट्टी
7	डिपो न.-8	वाल्मी चूनाभट्टी
8	डिपो न.-271	चूनाभट्टी रोड
9	डिपो न.-210	बुद्ध विहार मन्दिर के सामने
10	नमन पार्लर	ए. सेक्टर सर्वधर्म
11	आर.एस.ए. ऐं	सागर अपोर्टमेंट ए सेक्टर सर्वधर्म
12	सैनी	ए. सेक्टर सर्वधर्म
13	चेतन ऐं	अमरनाथ कालोनी के गेट के पास
14	दीपक ऐं	अमरनाथ कालोनी रोड
15	दक्ष ऐं	सी.आई.पार्क के पास
16	करिश्मा ऐं	अमरनाथ कालोनी
17	वहुविकलांग ऐं	सी.आई.पार्क के पास
18	नैन श्री ऐं	सी सेक्टर साई नाथ कालोनी
19	कार्तिकेय ऐं	बीम कुंज के पास साईनाथ कालोनी
20	डिपो नं. 192	नर्मदा अस्पताल के सामने
21	निरमल पार्लर	बी.सेक्टर सर्वधर्म
22	वि.आर इन्टरप्राईजेज	सर्वधर्म कोलार
23	अल्पना एजेंसी	बी.सेक्टर सर्वधर्म
24	खालसा पार्लर	कोलार रोड
25	प्रियांसी पार्लर	साईनाथ रोड के पास
26	भार्गव ऐं.	दानिश कुंज
27	वीमा कुंज पार्लर	वीमा कुंज के सामने
28	नसीन ऐं	सर्वधर्म सी. सेक्टर
29	डिपो न.-415	शारदा ग्लोरी
30	न्यू हरी ओम ऐं.	वीमा कुंज
31	डिपो न.-398	सूर्या कालोनी
32	दीक्षित ऐं.	आर्शिवाद कालोनी
33	डिपो न. 333	अकबरपुरा दशहरा मैदान
34	डिपो न. 261	आर्शिवाद गेट के सामने
35	कामाख्या ऐं.	विनित कुंज मार्केट
36	ग्रीस ऐं.	विनित कुंज
37	डिपो न. 414	विनित कुंज
38	डिपो न. 428	BSNL टावर के पास नयापुरा

39	नंदन ऐ.	राजहर्षकालोनी
40	स्वतंत्र ऐ.	दानिश कुंज
41	ऐश्वर्या ऐ.	दानिश कुंज
42	आराध्या एजेन्सी	प्रियंका नगर
43	डिपो नं. 222	गेहूखेड़ा चौराहा
44	साईधाम पार्लर	फाईन गेट के सामने
45	आम्रविहार पार्लर	नयापुरा बस स्टॉप
46	बाबा की दुआ एजेन्सी	गेहूखेड़ा नहर के पास
47	डिपो नं. 328	आलोक ढाबा के सामने नयापुरा
48	डिपो नं. 572	कजली खेड़ा
49	हरिप्रिया पार्लर	गेहूखेड़ा
50	डिपो नं. 304	प्रियंका नगर
51	डिपो नं. 121	गेंहूखेड़ा
52	डिपो नं. 466	कालापानी
53	डिपो नं. 513	कजली खेड़ा
54	डिपो नं. 574	कजली खेड़ा
55	आई.डी.बी. पार्लर	आई.डी.बी. कालोनी कजलीखेड़ा
56	रजनी एजेंसी	प्रियंका नगर
57	मालती ऐ.	वन्दना अपार्टमेन्ट
58	एस. ऐ.	ललिता नगर बस स्टाप
59	मानसरोवर डेन्टल कालेज	प्रियंका नगर
60	टेस्ट आफ इण्डिया	प्रियंका नगर
61	नाथू राम ऐ.	कजली खेड़ा
62	यू.बी. ऐ.	आई.डी.बी. कालोनी कजलीखेड़ा
63	अनमोल पार्लर	दानिश कुंज
64	चंदा ऐ.	गिरिधर परिसर
65	विष्णु ऐ.	गिरिधर परिसर
66	डिपो नं. 30	गिरिधर परिसर
67	पटेल एजेंसी	गिरिधर परिसर
68	डिपो नं. 472	गिरिधर परिसर
69	डिपो नं. 542	गिरिधर परिसर
70	डिपो नं. 356	ई-20 अरेरा कालोनी
71	हारून एजेन्सी	हिनोतिया आलम
72	लोकेन्द्र एजेन्सी	शिर्डीपुरम
73	कौशिक एजेन्सी	जे.के. रोड
74	डिपो नं. 540	सागर प्रीमियम
75	वैभव एजेन्सी	दानिश कुंज
76	डिपो नं. 544	वीनाकुंज के आगे
77	डिपो नं. 548	गिरिधर परिसर
78	शिवांश एजेन्सी	दानिश गेट
79	शर्मा पार्लर	दानिश कुंज
80	चित्रा पार्लर	दानिश कुंज
81	सुमित एजेन्सी	गिरिधर परिसर
82	ट्रीट एजेन्सी	दानिश कुंज पुलिया के पास
83	डिपो नं. 452	राजहर्ष नयापुरा

84	राजहर्ष पार्लर	राजहर्ष नयापुरा
85	जयसवाल ऐ.	ललिता नगर
86	डिपो के. 399	F-सेक्टर राजहर्ष
87	डिपो के. 306	सस्ता भण्डार के पास नयापुरा
88	त्रिवेणी पार्लर	नयापुरा
89	शिखा ऐ.	गणेश नगर नयापुरा
90	एकता ऐ.	शकुन्तला नगर नयापुरा
91	निर्मल ऐ.	ओम नगर नयापुरा
92	जितेन्द्र ऐं	गांधी कालेज
93	रिषिभट्ट ऐ.	दानिश कुंज
94	शिवांश एजेन्सी	सुमित्रा पिरसार
95	एस कान्त ऐ.	जे.के. हास्पीटल
	उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।	
	विपणन पर्यवेक्षक	सहायक महाप्रबंधक

**दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.08**

निसांत कालोनी, सतपुड़ा भवन, मंत्रालय, अरेरा हिल्स, मैदा मिल, पत्रकार भवन, न्यू मार्केट, रंगमहल, जवाहर चौक, रोशनपुरा, ओल्ड सुभाष नगर, रचना नगर, गौतम नगर, अफज़ल कालोनी, जहांगीराबाद, बुधवारा, इस्लामपुरा, तलैया, इब्राहिमपुरा, काली बस्ती, सुल्तानिया रोड, रिजवान बाग

क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	खान एजेन्सी	सी.आई.कालोनी, जहांगीराबाद
2	डिपो क्र.237	सी.आई.कालोनी, मंदिर के पास
3	पी.एम.सी हास्पिटल	मोतिया तालाब,अहिर मोहल्ला के पास
4	डिपो नं. 128	जहांगीराबाद
5	जहांगीराबाद पार्लर	जहांगीराबाद
6	चौरसिया एजेन्सी	जहांगीराबाद
7	सूर्या एजेन्सी	जिंसी रोड जहांगीराबाद
8	संजीव एजेन्सी	अहीर मोहल्ला जहांगीराबाद
9	अम्बर एजेन्सी	जहांगीराबाद
10	प्रतिभा एजेन्सी	अहीर मोहल्ला जहांगीराबाद
11	जयस्तंभ पार्लर	न्यू मार्केट
12	तारघर पार्लर	तारघर के पास
13	आशा एजेन्सी	न्यू मार्केट
14	काटजू हास्पिटल	काटजू हास्पिटल
15	सहकारी भवन पार्लर	सहकार भवन के पास
16	ओम साईं पार्लर	प्रियदर्शनी के पास
17	डिपो 44	दशहरा मैदान
18	टी- 1	एम.एल.ए क्वार्टर्स
19	डिपो नं. 325	दशहरा मैदान गेट नं. 2
20	डिपो नं. 203	दशहरा मैदान गेट नं. 1
21	डिपो नं. 49	होटल पलाश के पास
22	संजय पार्लर	होटल पलाश के पास
23	आकाशवाणी पार्लर	श्यामला हिल्स
24	डिपो नं. 48	श्यामला हिल्स
25	राजा पार्लर	दूरदर्शन के पास
26	सी.एम.हाऊस	सी.एम. हाऊस, श्यामला हिल्स
27	डिपो नं. 319	हिन्दी भवन के पास
28	डिपो नं. 473	हिन्दी भवन के पास
29	जीतन एजेन्सी	खुशबू पार्क, श्यामला हिल्स
30	डिपो पं. 65	प्रोफेशर कालोनी
31	आनन्द पार्लर	प्रोफेशर कालोनी
32	महेन्द्र एजेन्सी	टी.टी.आई के पास
33	रेनु पार्लर	कमला पार्क
34	समन एजेन्सी	कमला पार्क
35	318	पुराना सुभाष नगर
36	सोनू ऐ.	पुराना सुभाष नगर
37	113	पुराना सुभाष नगर
38	साँची प्वाइंट	पुराना सुभाष नगर
39	151	पुराना सुभाष नगर
40	152	पुराना सुभाष नगर
41	297	गोविन्द गार्डन



42	अमरापुर ऐ.	गोविन्द गार्डन
43	जगन्नाथ ऐ.	गोविन्द गार्डन
44	मिताली ऐ.	गोविन्द गार्डन
45	दिलिप ऐं.	पुराना सुभाष नगर
46	डिपो नं. 154	न्यू सुभाष नगर
47	डिपो नं. 199	अप्सरा टाकीज
48	डिपो 103	स्टेट बैंक के सामने मैदामिल
49	प्रेस पार्लर	प्रेस काम्पलेक्स चौराह
50	डिपो 422	मंडी बोर्ड के सामने
51	जनगणना पार्लर	जनगणना भवन के पास
52	पर्यावास पार्लर	पर्यावास भवन के पास
53	अंजली पार्लर	पुरानी जेल के पास
54	डिपो 425	अरेरा हिल्स
55	डिपो 231	सतपुडा भवना के पास
56	डिपो 197	बल्लभ भवन के पास
57	डिपो 364	विधान सभा के पास
58	पत्रकार पार्लर	पत्रकार भवन के पास
59	नागले एजेसी	मालवीय नगर
60	लता एजेसी	रोशनपुरा
61	हिना एजेसी	रोशनपुरा
62	डिपो 273	राजभवन के पास
63	समृद्धि एजेसी	राजभवन के पास
64	डिपो 189	पुलिस पेट्रोल पम्प के पास
65	डिपो 129	मुर्गी बाजार
66	नील एजेसी	सेंट्रलायबरेरी के सामने
67	सुल्तानिया जनाना हास्पीटल	सुल्तानिया जनाना हास्पीटल
68	इंदिरागांधी हास्पीटल	इंदिरागांधी हास्पीटल
69	सईदिया एजेसी	सेंट्रल लायबरेरी
70	डिपो 360	सेंट्रल लायबरेरी के पास
71	शिवशक्ति पार्लर	जहांगिराबाद
72	जवाहर एजेसी	बुधवारा चौराह
73	माधवी एजेसी	बुधवारा चौराह
74	डिपो 130	गिन्नोरी रोड पुराना एमएलबी
75	डिपो 131	आलोक प्रेस के पास
76	चित्रांस एजेसी	चौकी तलैया
77	भाराद्वाज एजेसी	चौकी तलैया
78	डिपो 565	गिन्नोरी रोड
79	डिपो 95	जहांगिरिया स्कूल के पास
80	डिपो 133	यूनानी सफाखाना के पास
81	नीतू एजेसी	यूनानी सफाखाना के पास
82	गोल्डन	चौकी तलैया
83	डिपो नं. 354	कमलापार्क
	उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।	
	विपणन पर्यवेक्षक	सहायक महाप्रबंधक

दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.09		
जिन्सी, बरखेड़ा, अल्पना टाकीज, पीरगेट, घोड़ा नक्कास, जुमेराती, शाहजहांनाबाद, ईदगाह हिल्स, नूरमहल, टीला जमालपुरा, परी बाजार, जानकी नगर, श्यामला हिल्स, सी.एम. हाउस, कमला पार्क, सी.आई. कालोनी		
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	डिपो नं. 366	इस्लामी गेट
2	साईबाबा एजेंसी	शाहजानाबाद टंकी के पास
3	डिपो क्र. 73	पुरानी पुलिस लाईन
4	डिपो क्र.74	रामनगर कालोनी ईदगाह हिल्स
5	डिपो नं. 256	रामनगर कालोनी ईदगाह हिल्स
6	सलीम एजेन्सी	रामनगर कालोनी ईदगाह हिल्स
7	नोवल एजेंसी	रामनगर कालोनी ईदगाह हिल्स
8	डिपो क्र. 71	परीबाजार
9	गुरुनानक	प्रभु नगर ईदगाह
10	डिपो क्र. 72	जज कालोनी
11	सलीम एजेन्सी	रामनगर कालोनी ईदगाह हिल्स
12	डिपो क्रमांक 407	प्रभु नगर ईदगाह
13	डिपो नं. 387	सेंट जोसफ के पास
14	डिपो नं. 180	गुरुद्वारे के पास
15	डिपो 165	सेंट जोसफ बाउन्डी के पास
16	डिपो नं. 589	नई पुलिस लाइन के पास
17	डिपो 556	पुलिस कालोनी के पास
18	मेरे पार्लर	टी0बी0 हॉस्पिटल के पास
19	अख्तर एजेंसी	जे.एन.आर.यू.एम. कालोनी
20	रामकली एजेंसी	जे.एन.आर.यू.एम. कालोनी
21	टी.बी. हास्पिटल	टी.बी. हास्पिटल
22	कैसर हास्पिटल	कैसर हॉस्पिटल
23	अंजना एजेन्सी	नारियलखेड़ा
24	आदित्या एजेन्सी	नारियलखेड़ा
25	प्रतीक्षा एजेंसी	नारियलखेड़ा
26	जाकिर एजेंसी	रेजीमेंट रोड, शाहजहांनाबाद
27	डिपो नं. 107	रेजीमेंट रोड, शाहजहांनाबाद
28	डिपो नं. 380	नारियलखेड़ा
29	डिपो नं. 183	नारियलखेड़ा एल.आई.जी. कॉलोनी
30	शकील एजेन्सी	जिसी चौराहा
31	डिपो नं. 112	जिसी चौराहा
32	बाम्बे एजेन्सी	जिसी चौराहा
33	अयान एजेन्सी	जिंसी रोड जहांगीराबाद
34	मयूर एजेन्सी	मंगलवारा, छावनी
35	विरेंद्र एजेन्सी	आजाद मार्केट
36	रीना एजेंसी	सेफिया कालेज रोड
37	हरीश एजेन्सी	मंगलवारा थाना के सामने
38	कुलदीप एजेन्सी	चौकी ईमाम बाड़ा के पास
39	प्रजापती	नूरमहल रोड,
40	चर्चित एजेंसी	पीरगेट
41	डिपो नं. 119	अलीगंज
42	डिपो नं. 120	जुमेराती मार्केट

43	डिपो नं. 134	तांगा स्टेण्ड, इतवारा
44	जुमेराती पार्लर	जमेराती मार्केट
45	आजाद मार्केट	आजाद मार्केट
46	रवी एजेन्सी	बुधवारा बैण्ड मास्टर चौराहा
47	मुजफ्फरयार एजेन्सी	बालविहार के पास
48	डिपो नं. 275	भारत गैस एजेन्सी के पास, बरखेड़ी
49	हरि ओम एजेन्सी	चिकलोद रोड
50	कला एजेन्सी	मंदिर के पास बरखेड़ी
51	मंगल एजेन्सी	पुलिस चौकी, बरखेड़ी
52	तारिक एजेन्सी	चिकलोद रोड
53	राधाकृष्ण एजेन्सी	शनिमंदिर के पास बरखेड़ी
54	चन्द्रकांता एजेन्सी	तनुश्री हास्पिटल के पास
55	मोहित एजेन्सी	बरखेड़ी
56	बरखेड़ी एजेन्सी	बरखेड़ी
57	डिपो नं. 114	रशीदिया स्कूल बरखेड़ी
58	शीतला एजेन्सी	बरखेड़ी
59	जी नानक एजेन्सी	लिली टाकीज के पीछे
60	रितिका एजेन्सी	लिली टाकीज के पीछे
61	डिपो नं. 100	काजीकैम्प
62	डिपो नं. 190	काजीकैम्प पानी की टंकी
63	डिपो नं. 99	पीपुल्स के सामने काजीकैम्प
64	डिपो 221	चौकसे नगर चौराहा के पास
65	डिपो 173	गीतांजली के पास
66	डी.एस. एजेन्सी	गैतम नगर
67	बांकेबिहारी	डीआईजी चौराहा
68	जवाहरलाल हास्पिटल	जवाहरलाल हास्पिटल
69	डिपो 104	आरिफ नगर
70	कासेकर	बैरसिया रोड फाटक
71	आसिफ एजेन्सी	कुम्हार पुरा
72	अग्रवाल एजेन्सी	बरखेड़ी रेल्वे फाटक के पास
73	मेहता एजेन्सी	पटेल नगर
74	साकिर अली अस्पताल	साकिर अली अस्पताल
75	भारत टाकीज पार्लर	पुल के नीचे
76	डिपो 125	पटेल नगर
77	तौफीक एजेन्सी	रेलवे स्टेशन के पास
78	डिपो नं. 353	पान मार्केट प्लेटफार्म नं.04 की ओर स्टेशन रोड
79	डिपो नं. 127	कारगिल कालोनी छोला रोड
80	आदिल एजेन्सी	फूटा मकबरा छोला रोड
81	कीर्ति एजेन्सी	कैची छोला नाका
82	रवि एजेन्सी	नादरा बस स्टेंड
83	कल्याणी एजेन्सी	नादरा बस स्टेंड
84	संगम पार्लर	संगम टाकीज के पास
85	डिपो क्र.110	पुतली घर
86	ए.के. एजेन्सी	वसुन्धरा कालोनी टीला जमालपुरा
87	डिपो क्र.109	टीला जमालपुरा
88	डिपो क्र.108	टीला जमालपुरा
89	भुवनेश एजेन्सी	टीला जमालपुरा
90	डिपो क्र.106	कबीटपुरा

91	शाहद एजेसी	कबीटपुरा
92	आयशा एजेसी	इस्लामीगेट
93	रितिका एजेसी	लिली टाकीज के पीछे
94	डिपो नं 97	इब्राहिम गंज
95	डिपो नं 170	इब्राहिम गंज
96	साईराम एजेसी	इब्राहिम गंज
97	डिपो 166	शाहजहानाबाद
98	डिपो 357	शाहजहानाबाद गेट के पास
99	सिन्धी पार्लर	सिन्धी कालानी
100	नेहा एजेसी	न्यू कबाडखाना
	उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।	
	विपणन पर्यवेक्षक	सहायक महाप्रबंधक

**दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.10**

करबला रोड, कोहेफिजा, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, एन.आर.आई कालोनी, स्टेट बैंक चौराहा, हमीदिया हास्पिटल, रॉयल मार्केट, मथाई नगर, पंचवटी कालोनी, बैरागढ़ कलां, बैरागढ़, भैंसाखेड़ी, संत हिरदाराम नगर, मोचीपुरा, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, हलालपुरा बस स्टैण्ड, विजय नगर, लालघाटी, गुफा मंदिर, एयरपोर्ट रोड

क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	पूनम पार्लर	विजय नगर पार्क के सामने
2	बाबा पार्लर	हलालपुरा बस स्टैण्ड
3	वर्मा एजेन्सी	हलालपुरा बस स्टैण्ड
4	पियूष एजेन्सी	गुफा मंदिर रोड
5	नितेश एजेन्सी	गुफा मंदिर रोड
6	डिपो नं. 85	लालघाटी
7	महावीर एजेंसी	गुफा मंदिर रोड
8	संत एजेंसी	बैरागढ़. मैदान के पास
9	डिपो नं. 168	बैरागढ़. फाटक रोड
10	डिपो नं. 169	बैरागढ़. घर्मशाला के पास
11	गणेश एजेन्सी	बैरागढ़.
12	डिपो 86	बैरागढ़.
13	डिपो 88	बैरागढ़.
14	डिपो 93	बैरागढ़.
15	डिपो 94	बैरागढ़.
16	जयदीप पा	बैरागढ़ पुराना
17	बैरागढ़ हास्पिटल	बैरागढ़ हास्पिटल
18	एन. आर. सी	बैरागढ़ हास्पिटल
19	घनश्याम एजेंसी	बैरागढ़
20	प्रदीप एजेंसी	बैरागढ़
21	कविता एजें.	बैरागढ़
22	हमीदिया पार्लर	लोकायुक्त के पास
23	कमल एजेन्सी	गांधीनगर
24	उमर एजेन्सी	अब्बास नगर
25	राधा एजेंसी	सीटीओ
26	बदीविशाल एजेंसी	सीटीओ
27	झा एजेंसी	सीटीओ
28	प्रियंका एजेंसी	कैलाश नगर बैरागढ़
29	शिवासीस एजेंसी	डा. भवानी के पास
30	जोहेब एजेन्सी	एयरपोर्ट रोड
31	हसीब एजेन्सी	अब्बास नगर
32	श्री राम एजेन्सी	सुविधा विहार कालोनी
33	ईशू एजेन्सी	सुभाष बार्ड, गाँधी नगर
34	लेक पर्ल एजेन्सी	अब्बास नगर
35	चंचल एजेन्सी	अब्बास नगर
36	डिपो नं. 378	सुभाष बार्ड, गाँधी नगर
37	आर.एम.डी. एजेन्सी	एयरपोर्ट रोड बायपास
38	अष्टमी एजेन्सी	बैंक आफ बड़ोदा के पास एयरपोर्ट रोड

39	प्रविजन एजेन्सी	एयरपोर्ट रोड
40	अंजू एजेन्सी	थाने के सामने गांधीनगर
41	ग्वालिनी एयरोसिटी	बायपास गांधी नगर
42	मा श्री पार्लर	मुंशी प्रमचन्द कालोनी बीडीए
43	डिपो नं. 66	स्टेट बैंक चौराहा श्यामला हिल्स
44	डिपो नं. 78	फायर विग्रेड के पास
45	मेद्या पार्लर	हमीदिया अस्पताल गेट नं.1
46	पुष्प पार्लर	हमीदिया अस्पताल के पास
47	डिपो नं. 83	कोहेफिजा सिरील फेस 1
48	डिपो नं. 82	शहीद नगर पुल के नीचे
49	डिपो नं. 81	नूर महल रोड
50	हमीदिया हास्पिटल	नूर महल रोड
51	कमला नेहरू हास्पिटल	नूर महल रोड
52	इंपीरियल एजेन्सी	खानूगांव
53	शिव एजेन्सी	शहीद नगर ओल्ड आर.टी.ओ
54	प्योर एंड फ्रेश एजेन्सी	खानूगांव
55	फिलफोरा एजेन्सी	कोहेफिजा
56	डिपो नं. 84	कोहेफिजा पुलिस चौकी के पास
57	डिपो नं.87	कोहेफिजा मीनाक्षी अपार्टमेंट
58	डिपो नं. 410	कोहेफिजा के.के. शाह अपार्टमेंट
59	आयसर (IESEFR)	आयसर (IESEFR)
60	वास्तुकला विद्यालय	वास्तुकला विद्यालय
61	खजूरी	खजूरी
62	बी.एस.एफ संस्थान मं संभावित	चन्दू खेडी
63	पुलिस ट्रेनिंग सेंटर	प्रशिक्षण एकेडमी
	उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।	
	विपणन पर्यवेक्षक	सहायक महाप्रबंधक

दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.11		
आई.एस.बी.टी. पार्लर, जे.के. रोड, मीनाल, अयोध्या बायपास से भानपुर संपूर्ण पुराना 9 नं. मार्ग		
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	डिपो न. 475	न्यू सब्जी मंडी गेट के पास
2	गोकुल एजेंसी	गरीब नगर
3	भदोरिया एजेंसी	गरीब नगर
4	डिपो न. 263	नवजीवन कालोनी
5	दिव्य एजेंसी	शंकर नगर
6	डिपो 242	दशहरा मैदान
7	सविता एजेंसी	शिव नगर
8	सिया एजेंसी	शिव नगर
9	डिपो क्र.340	जनता क्वार्टर
10	करोंद पार्लर	करोंद चौराहा
11	अरुण एजेन्सी	करोंद चौराहा
12	डिपो नं. 160	जेल रोड
13	शिवांगी एजेंसी	संजीव नगर
14	आविद एजेंसी	विमला कालोनी
15	डिपो 585	एलेक्जेंडर गार्डन के पास
16	अनिहंता एजेंसी	नई जेल के पास
17	आयुष एजेंस	नई जेल के पास
18	गोकुलधाम पार्लर	गोकुल धाम कालोनी
19	सेन्द्रल जैल	सेन्द्रल जैल
20	आई टी पार्क एजेंसी	आई.टी. पार्क
21	156	जे.के.टावर
22	पारूल ऐ.	जे.के.रोड
23	240	जे.के.रोड
24	582	अभिनव होम्स अयोध्या
25	532	हुण्डई शो रूम के पास जे.के. रोड
26	175	मिनाल
27	155	अयोध्या बाईपास
28	मिनाल ऐ.	मिनाल
29	D.D. मिल्क ऐ.	मिनाल
30	सोम ऐ.	अयोध्या चौराहा
31	हार्षित ऐ.	मिनाल से आगे
32	सिकरवार ऐ.	मिनाल गेट
33	सुदीप ऐ.	अयोध्या बाईपास
34	ओम ऐ.	मिनाल
35	गोरवी ऐ.	मिनाल साप
36	सुनील ऐ.	दुर्गेश बिहार
37	436	सागर कालेज
38	मां दुर्गा पार्लर	अयोध्या चौराहा
39	न्यू बजरंग ऐ.	बाईपास
40	511	पेट्रोलपम्प
41	दुर्गेश पार्लर	मिनालगेट
42	आई.एस.बी.टी पार्लर	आई.एस.बी.टी

43	शैर्य एजेंसी	80 फिट रोड
44	डिपो 463	80 फिट रोड
45	डिपो 524	80 फिट रोड
46	पूजा एजेंसी	कल्याण नगर
47	सोनिका एजेंसी	गीता नगर
48	लोधी एजेंसी	भानपुर
49	डिपो 337	भानपुर पुल के नीचे
50	टुडे एजेंसी	पटेल मार्केट
51	डिपो 232	भानपुर पुल के पास
52	राम गोपाल एजेंसी	भानपुर
53	चोपडा एजेंसी	चोपडा
54	सूखी सेवनिया	सूखी सेवनिया
55	असद पार्लर	आई.एस.बी.टी
56	मोहे ऐ.	अन्ना नगर
57	योगेश ऐ.	अन्ना नगर
58	स्पोर्ट पार्लर	गोविन्दपुरा थाना
59	516	सोनागिरी पाई
60	डिपो 468	पिपुल्स ब्रिज के पास
61	पीपुल्स पार्लर	पीपुल्स मॉल के सामने
62	विनोद पार्लर	बीएमएचआरसी के पास
63	नदीम एजेसी	बीएमएचआरसी के पास
64	डिपो 393	बीएमएचआरसी के पास
65	डिपो 553	फारेस्ट आफिस के पास
66	डिपो 588	काकडा
67	डिपो 560	पेटोल पम्प के पास
68	नायरा एजेंसी	नबी बाग
69	कुणाल ऐंथी	बेस्ट प्राईज के पीछी
70	एस.आर. एजेंसी	नबी बाग
71	डिपो 421	लाम्बाखेडा
72	डिपो 568	लाम्बाखेडा
73	अभिलाष एजेंसी	लाम्बाखेडा
74	डिपो 236	करौंद चौराह
75	युक्ता एजेसी	कोरल कासा
76	कोरल कासा	कोरल कासा
77	संभावित अचारपुरा क्षेत्र	अचारपुरा
78	झाला एजेंसी	विश्वकर्मा नगर
79	न्यू पूजा एजेंसी	विश्वकर्मा नगर
80	कुरैशी एजेंसी	विश्वकर्मा नगर
81	डिपो 153	हाउसिंग बोर्ड मेन रोड
82	डिपो 145	हाउसिंग बोर्ड कालोनी
83	किशोर एजेंसी	हाउसिंग बोर्ड कालोनी
84	प्रेम पार्लर	यूनियन कारबाईड कारखान के पास
	उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।	
	विपणन पर्यवेक्षक	सहायक महाप्रबंधक



**दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.12**

अशोका गार्डन, बाग दिलकुशा, बाग फरहत अफज़ा, उमराव दूल्हा बाग, अशोक विहार, सम्राट कालोनी, नवीन नगर, मयूर विहार, चांदबड़, बजरिया, भोपाल स्टेशन रेल्वे पार्लर, द्वारका नगर, कोलुआ कलां, कोच फैक्ट्री, वर्धमान ग्रीन कालोनी, सुभाष कालोनी, सेमरा, करारिया, साजिदाबाद

क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	डिपो 280	सेमरा
2	विशें एजेंसी	सेमरा
3	डिपो 326	सेमरा बिजली कालोनी
4	डिपो 178	बिजली कालोनी के पास
5	हैप्पी एजेंसी	सेमरा
6	श्याम एजेंसी	सेमरा
7	बीना एजेंसी	सेमरा
8	सलोनी एजेंसी	सेमरा
9	442	पेट्रोल पंप के पिछे
10	डिपो नं. 161	बाग दिलकुशा
11	डिपो नं. 207	बाग दिलकुशा
12	डिपो नं. 171	बाग फरहत अफज़ा
13	बारी ऐं	बाग फरहत अफज़ा
14	आकक्षी ऐ.	पेट्रोल पंप
15	डिपो नं. 158	ऐशबाग
16	डिपो नं. 115	ऐशबाग फाटक के पास
17	वसीय	अशोका गार्डन
18	डायमन्ड	अशोका गार्डन
19	जैन ऐ.	सम्राट कालोनी
20	विश्वकर्मा ऐ.	पंजाबी बाग
21	पुजारी	अशोका गार्डन
22	शिखा ऐं.	दुर्गाधाम मन्दिर
23	सनी ऐ.	दुर्गाधाम मन्दिर
24	माहिर ऐ.	दुर्गाधाम मन्दिर
25	सदाब ऐ.	सम्राट कालोनी
26	204	अशोका गार्डन
27	228	अशोका गार्डन
28	92	कामेटी हाल
29	514	अशोका गार्डन
30	545	दुर्गाधाम मन्दिर
31	दुर्गाधाम पार्लर	अशोका गार्डन
32	आशोका पार्लर	अशोका गार्डन
33	सुपर बाजार	पंजाबी बाग के पास
34	नानू ऐं.	पंजाबी बाग के पास
35	पेन्टर ऐ.	न्यू अशोका गार्डन
36	नयन ऐ.	न्यू अशोका गार्डन
37	डेरी गेट पार्लर	डेरी गेट
38	283	अशोका गार्डन
39	सरोज ऐ.	ऐशबाग चाणक्यपुरी

40	रिकू ऐ.	बाग उमराव दूल्हा
41	123	बाग उमराव दूल्हा
42	146	बाग उमराव दूल्हा
43	195	ऐशबाग
44	215	ऐशबाग
45	37	प्रभात पेट्रोल पम्प
46	565	गोतम नगर
47	कमला पार्लर	गोतम नगर
48	गोतम नगर पार्लर	गोतम नगर
49	प्रभात पार्लर	प्रभात पेट्रोल पंप
50	अथर पार्लर	प्लेटफार्म नं. 1 के सामने
51	डिपो क्र. 142	हबीबिया स्कूल
52	सामिया एजेन्सी	प्लेटफार्म नं. 1 के सामने
53	जोशी एजेन्सी	पुष्पा नगर
54	आजाद एजेन्सी	बिस्मिल्ला कालोनी
55	सुमन एजेन्सी	कम्मू का बाग उमराव दूल्हा
56	जयराम एजेन्सी	द्वारका नगर
57	दीपू एजेंसी	राजेन्द्र नगर
58	डिपो क्र. 209	कोच फैक्ट्री
59	डिपो 412	इन्डस कालोनी
60	राजीव एजेंसी	खुशी पुरा
61	परिवार एजेंसी	खुशी पुरा
62	सिंह पार्लर	स्टेशन
63	गुरुकृपा एजेंसी	स्टेशन
64	राकेश एजेंसी	राजेन्द्र नगर
65	राधाकृष्ण एजेंसी	सेमरा कला
66	डिपो नं. 182	द्वारका नगर
67	इन्द्रकुमार एजेंसी	सेमरा चौराहा के आगे
68	डिपो नं. 174	ऐशबाग चाणक्यपुरी
69	अनिता ऐ.	बाग उमराव दूल्हा
70	सिमरन ऐ.	बाग उमराव दूल्हा
71	इरसाद ऐ.	बाग उमराव दूल्हा
72	हेमन्त पार्लर	ऐशबाग चाणक्यपुरी
73	डिपों नं. 389	ऐशबाग चाणक्यपुरी
74	पाल ऐ.	पुष्पा नगर
75	राजेन्द्र नगर	सेमरा
76	जीतन एजेंसी	सेमरा
77	विमला एजेंसी	दुर्गा नगर कालोनी
78	नीता एजेंसी	चान्दबड
79	डिपो 118	चान्दबड बीएमएसआरसी डिस्पेंसरी
80	राजीव एजेंसी	कपडा मिल के पास
	उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।	
	विपणन पर्यवेक्षक	सहायक महाप्रबंधक

दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.13		
इण्डस टाउन, चिनार इण्डस फेस-2, हरिगंगा, चिनार झील सिटी, राधापुरम, कृष्णापुरम, समरधा, संपूर्ण मण्डीदीप क्षेत्र, इण्डस्ट्रियल एरिया, नयापुरा तक, ओबेदुल्लागंज रोड		
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	597	सीतल सिटी
2	यदुवंशी ऐ.	दाहौद रोड
3	तेजस ऐ.	दाहौद रोड
4	निशा ऐ.	दाहौद रोड
5	मौसम ऐ.	सीतल सिटी
6	रतन ऐ.	स्टेशन रोड
7	सिषमा ऐ.	स्टेशन के उस पार
8	मेहेरा ऐ.	सतलापुरा
9	खुशी ऐ.	सीतलधाम
10	साई ऐ.	सतलापुरा
11	आनंद ऐ.	गणेश मंदिर
12	स्नेह ऐ.	गणेश मंदिर
13	गोस्वामी ऐ.	सतलापुरा
14	सतलापुर ऐ.	सतलापुरा
15	रोहित ऐ.	आयसर चौराहा
16	346	पटेल नगर
17	जे.जे.ऐ.	पटेल नगर
18	राजपूत ऐ.	पटेल नगर
19	सेंगर ऐ.	मंडीदीप
20	अवतार ऐ.	स्कूल के पास
21	सान ऐ.	नयापुरा
22	अभिवेक ऐ.	पटेल नगर
23	सिवरतन ऐ.	इन्द्रा नगर
24	मां सिद्धीदात्री ऐ.	मंगल बजार
25	किरणलता ऐ.	मंगल बजार
26	अन्नपूर्णा ऐ.	स्टेशन रोड
27	संपूर्ण मंडीदीप क्षेत्र	
	उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।	
	विपणन पर्यवेक्षक	सहायक महाप्रबंधक

दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.14		
गोविंदपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, आई.टी.आई, इन्द्रपुरी, भारत नगर, निजामुद्दीन, सोनागिरी, अयोध्या नगर संपूर्ण क्षेत्र, एक्सटेंशन सहित, नरेला शंकरी, बिजली कालोनी, गोविंद गार्डन		
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	शिवाय एजेंसी	इन्डस्टीयल एरिया गोविन्दपुरा
2	अन्जुम एजेंसी	इन्डस्टीयल एरिया गोविन्दपुरा
3	स्विटलकी पार्लर	जे.के. चौराहा
4	इन्द्रपुरी	जुगली गेट
5	सोना गिरी पार्लर	बीमा हास्पिटल
6	मधुर पार्लर	शास्त्री मार्केट
7	महालक्ष्मी ऐ.	शास्त्री मार्केट
8	स्टाप केन्टीन	बी.एच.ई.एल
9	वर्क केन्टीन 3	बी.एच.ई.एल
10	वर्क केन्टीन 1	बी.एच.ई.एल
11	डिपो नं. 198	चारवाल
12	राजेश ऐं.	गोविन्दपुरा
13	आश्रेय पार्लर	आई.टी.आई चौराहा
14	साई कृपा ऐ.	सोनागिरी पाई
15	मां गौरी	सोनागिरी पाई
16	कनिष्का पार्लर	पिपलनी पेट्रोलपम्प
17	कमलेश	सतनामी
18	उदय पार्लर	सोनागिरी
19	सतीष पार्लर	सोनागिरी
20	234	सोनागिरी
21	गणेश ऐ.	सोनागिरी
22	270	सोनागिरी
23	कन्हैया ऐ.	कल्पना नगर
24	194	कल्पना नगर
25	हयास ऐ.	निजामुदीन
26	श्री ऐ.	निजामुदीन
27	मुरली धर ऐ.	सोनागिरी
28	रफीक ऐ.	गोविन्दपुरा T.R.T
29	148	सुभाष मार्केट
30	H-9	T.R.T
31	H-10	गोविन्द पुरा मरधर देवास
32	307	बाईपास
33	375	भवजी डेरी
34	गरिमा ऐ.	भवजी डेरी
35	351	मंदिर के पास
	उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।	
	विपणन पर्यवेक्षक	सहायक महाप्रबंधक

दुग्ध उत्पाद मार्ग क्र.15		
कल्पना नगर, रत्नागिरी, राजीव नगर, नरेला शंकरा के बाद मुस्कान हास्पिटल से अयोध्या बायपास के दोनों तरफ की कालोनी, आनंद नगर तक, रजत नगर, लक्ष्मी नगर, पटेल नगर, इण्डस पार्क, सिद्धार्थ लेक सिंह, एन.आर.आई कॉलेज, ओरिएन्टल कॉलेज, कोकता, आनंद नगर, हथाईखेड़ा, एल.एन.सी.टी कॉलेज, बिलखिरिया तक		
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम
1	कमफर्ट पार्लर	वृन्दावन
2	586	अजीत होम
3	आतीस ऐ.	मेरी स्कूल
4	सारिका एजेन्सी	मेरी स्कूल के सामने
5	भूमिका एजेन्सी	वाईपास मंडी
6	मातेश्वरी एजेन्सी	राजीव नगर
7	साई एजेन्सी	राजीव नगर
8	महालक्षी एजेन्सी	राजीव नगर
9	देवेन्द्र पार्लर	नरेलाजोड़
10	अंकित एजेन्सी	नरेलाजोड़
11	परसाई एजेन्सी	राजीव नगर
12	451	नरेलाबाईपास
13	मां भागीरथ पार्लर	नरेला
14	मयूरी एजेन्सी	नरेला
15	अप्पू एजेन्सी	अयोध्या बाईपास
16	गोलनदाज एजेन्सी	नरेला गांव
17	रीतू एजेन्सी	अनन्या से आगे
18	अयोध्या एजेन्सी	अयोध्या
19	322	अयोध्या
20	533	इसरो
21	पाल एजेन्सी	इसरो
22	शशि एजेन्सी	स्कूल के पास
23	केरला एजेन्सी	अयोध्या
24	पाण्डे एजेन्सी	अयोध्या
25	संतोष ऐ.	राजीव नगर
26	276	लेबर कालोनी
27	201	लेबर कालोनी
28	205	क्षमशाल
29	अविनास ऐ.	भरतनगर
30	394	रविदास चौराहा
31	मूनिक ऐ.	रविदास
32	नईम ऐ.	निजामुद्दीन
33	उत्कर्ष ऐ.	किरणनगर
34	रहमान ऐ.	निजामुद्दीन
35	प्राग्या ऐ.	सिद्धार्थ
36	नाज ऐ.	कमलानगर
37	490	कमलानगर
38	554	वृन्द
39	217	निजामुद्दीन

40	371	बालाजी मंदिर
41	157	अनंत हास्पिटल
42	भवसार पार्लर	अनंत हास्पिटल
43	358	पेट्रोलपम्प
44	तुषार ऐ.	राजीवनगर
45	जगदीश ऐ.	राजीवनगर
46	सुपर ऐं	वायपास चौराहा
47	303	आन्नद नगर
48	गोलू ऐं.	कोकता
49	डिपो नं. 76	आन्नद नगर
50	सीमा ऐं.	आन्नद नगर
51	प्रिया	आन्नद नगर
52	गायत्री	आन्नद नगर
53	ट्रान्सपोर्ट नगर	ट्रान्सपोर्ट नगर
54	दाजी ऐं.	ट्रान्सपोर्ट नगर
55	हिमांसू	कोकता
56	जे.बी.सी	कान्हासैया
57	427	ट्रान्सपोर्ट नगर
58	सोमश	अहमदपुर छावनी
59	मिलिसा	अहमदपुर छावनी
60	डिपो नं. 456	एल.एन.सीटी
61	ए.पी.ऐं.	कंकाली मोड
62	डिपो नं. 365	नया वायपास चौरहा
63	सी.ए.पी.टी 25 बटालियन	कोकता
	उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले अन्य प्राईवेट दुकानें/स्कूल/कॉलेज आदि संस्थानों में दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना भी सुनिश्चित करेंगे।	
	विपणन पर्यवेक्षक	सहायक महाप्रबंधक